[2021] 12 एस. सी. आर 502

ऋषिपाल सिंह सोलंकी

वी.

उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस.

(2021 की आपराधिक अपील No.1240)

नवंबर 18,2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और

बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015

किशोरावस्था का दावा-मैट्रिक की आयु का निर्धारण

प्रमाणपत्र-उत्तरदाता सं। 2 - अभियुक्त पर अन्य लोगों के साथ अपीलार्थी और उसके परिवार पर हमला करने का आरोप लगाया गया था, जिससे उसके पिता और चाचा की मृत्यु हो गई-प्रतिवादी नं. 2 , प्रतिवादी को नं. घोषित करने के लिए किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष अपनी माँ/प्राकृतिक अभिभावक के माध्यम से। 2 एक किशोर अपराधी के रूप में-अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी नं. 2 उसकी वास्तविक आयु का पता लगाने के लिए, आवेदन खारिज कर दिया गया-प्रतिवादी नं। 2 किशोर अपराधी घोषित किया गया था-जिला और सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपीलार्थी की अपील खारिज कर दी गई थी-उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक संशोधन भी खारिज कर दिया गया था-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः उत्तरदाता नं. 2'जन्म तिथि के रूप में

स्कूल के प्रवेश अभिलेखों में दर्ज, साथ ही मैट्रिक प्रमाण पत्र समान हैं अर्थात, 25.09.2004-घटना की तारीख थी

05.05.2020 प्रत्यर्थी सं. के मैट्रिक से संबंधित अंक-पत्र। 2 , संबंधित बोर्ड द्वारा जारी किया गया पत्र इस धारणा को जन्म देता है कि घटना की तारीख को उनकी आयु 16 वर्ष से कम थी-इसके अलावा, पत्र डी. टी. डी. 22.07.20 प्रशासनिक अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद, यूपी, (मेरठ) ने भी प्रतिवादी नं. 2 25.09.2004 के रूप में-प्रत्यर्थी सं. द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के लिए कोई विरोधाभासी साक्ष्य नहीं। 2 अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं-जिला और सत्र न्यायालय के साथ-साथ जेजे बोर्ड के फैसले को बनाए रखने वाला उच्च न्यायालय का आदेश, जो साक्ष्य अधिनियम, 1872 से अलग नहीं है - 35-किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000-किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 - आर. 12-दंड संहिता, 1860-एस. एस. 147-149 , 323 , 307 , 302 , 34 .

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 साक्ष्य अधिनियम, 1872 - एस. 35-घोषणा के लिए दायर आवेदन कि

502 ऋषिपाल सिंह सोलंकी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य

& ओआरएस।

उत्तरदाता नं। 2 एक किशोर अपराधी के साथ समर्थित था

हाई स्कूल द्वारा जारी प्रमाण पत्र-सह-अंक पत्रक

संबंधित बोर्ड ने कहा कि प्रत्यर्थी की जन्म तिथि सं। 2

25.09.2004 था-यह साबित करने के लिए प्रवेश प्रपत्रों पर भरोसा किया गया था कि

उक्त दस्तावेजों में उल्लिखित प्रत्यर्थी की जन्म तिथि मैट्रिक प्रमाण पत्र में दर्शाई गई जन्म तिथि के अनुरूप है-अपीलार्थी की याचिका कि उक्त की वास्तविकता दस्तावेज़ गंभीर संदेह में थे और इसलिए किशोरावस्था के दावे के समर्थन में उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था-आयोजितः तत्काल मामले में, स्वीकार्य रूप से, कोई अन्य दस्तावेज नहीं है जो प्रतिवादी नं. 2 मैट्रिक प्रमाणपत्र में जो संकेत दिया गया है, उसके विपरीत-तिथि में कोई विसंगति नहीं है

जन्म।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015-आयु का निर्धारण-साक्ष्य स्कूल रिकॉर्ड-साक्ष्य

अधिनियम, 1872 एस। 35 - आयोजित किया गयाः जब आयु का निर्धारण स्कूल रिकॉर्ड जैसे साक्ष्य के आधार पर किया जाता है, तो यह आवश्यक है कि एस के अनुसार उस पर विचार किया जाए। 35 चूंकि आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में रखे गए किसी भी सार्वजनिक या आधिकारिक दस्तावेज की निजी दस्तावेजों की तुलना में अधिक विश्वसनीयता होगी -

सार्वजनिक दस्तावेजों के अनुरूप दस्तावेज़, जैसे कि मैट्रिक प्रमाण पत्र, न्यायालय या जेजे बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जा सकता है बशर्ते कि ऐसा सार्वजनिक दस्तावेज़ एस के अनुसार विश्वसनीय और प्रामाणिक हो। 35 और अन्य प्रावधान।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015। 94 , 9 (2) , (3) - किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000-एस। 7 ए, 49-किशोर न्याय (किशोरों की देखभाल और संरक्षण)

बच्चे) नियम, 2007 आर। 12 - आयु का निर्धारण-अंतर

प्रक्रिया में-चर्चा की गई।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 किशोरावस्था का दावा-आयोजितः किशोरता का दावा आपराधिक कार्यवाही के किसी भी चरण में, मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी उठाया जा सकता है-किशोरता के दावे को उठाने में देरी इस तरह के दावे की अस्वीकृति का आधार नहीं हो सकती है-इसे पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी उठाया जा सकता है-जब अभियुक्त की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है तो एक अति-तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए।

इस दलील का समर्थन कि वह एक किशोर था-यदि दो विचार संभव हैं [2021] 12 एस. सी. आर.

समान साक्ष्य पर, अदालत को निर्णय लेने के पक्ष में झुकना चाहिए सीमावर्ती मामलों में अभियुक्त किशोर होना।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015। 9 , 94 – किशोरावस्था का निर्धारण-आयोजितः जब मुद्दा

न्यायालय के समक्ष किशोरता उत्पन्न होती है, यह धाराओं की उप-धारा (2) और (3) के अंतर्गत होगी। 9 लेकिन जब किसी व्यक्ति को समिति या जेजे के सामने लाया जाता है

बोर्ड, धारा 94 लागू होती है-इसके अलावा, यदि जे. जे. बोर्ड के पास इस बारे में संदेह के लिए उचित आधार हैं कि उसके सामने लाया गया व्यक्ति बच्चा है या नहीं, तो बोर्ड आयु निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करेगा।

साक्ष्य मांगकर-जेजे बोर्ड द्वारा दर्ज की गई आयु आयु है

इस प्रकार उसके समक्ष लाए गए व्यक्ति का, 2015 के प्रयोजन के लिए

अधिनियम, उस व्यक्ति की वास्तविक आयु मानी जाए-इसलिए,

जेजे बोर्ड के समक्ष ऐसी कार्यवाही में आवश्यक प्रमाण, जब मुकदमा होने पर किशोरावस्था के दावे के लिए आवेदन दायर किया जाता है।

संबंधित आपराधिक न्यायालय के समक्ष, जांच की तुलना में अधिक है

एक अदालत द्वारा बनाया जाता है जिसके समक्ष आयोग के संबंध में मामला होता है

अपराध लंबित है।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015

एस. 94 – किशोरावस्था की धारणा-किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण)

बच्चों का संरक्षण) नियम, 2007 - आर. 12-आयोजितः जब किशोरावस्था के लिए दावा किया जाता है, तो प्रारंभिक बोझ का निर्वहन करने के लिए न्यायालय को संतुष्ट करने के लिए दावा करने वाले व्यक्ति पर बोझ पड़ता है-हालाँकि,

आर में उल्लिखित दस्तावेज़। 12 (3) (क) (i), (ii), और (iii), 2007 नियम या धाराओं की उप-धारा (2)। 94 , प्रथम दृष्टया संतुष्टि के लिए पर्याप्त होगा

न्यायालय का-उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर

किशोरावस्था की धारणा को उठाया जा सकता है-हालाँकि, कहा गया कि यह धारणा किशोरावस्था की आयु का निर्णायक प्रमाण नहीं है और इसका खंडन किया जा सकता है।

विरोधाभासी साक्ष्य द्वारा।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 धाराओं में उल्लिखित दस्तावेजों की अनुपस्थिति। 94 (2) , आयु का निर्धारण

आयोजित किया गयाः ओस्सिफिकेशन टेस्ट उम्र के लिए एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता है।

निर्धारण-किसी व्यक्ति की उम्र के बारे में एक यांत्रिक दृष्टिकोण

केवल चिकित्सा राय के आधार पर अपनाया नहीं जा सकता है

रेडियोलॉजिकल जाँच-इस तरह के साक्ष्य निर्णायक साक्ष्य नहीं हैं। लेकिन अनुपस्थिति में केवल एक बहुत ही उपयोगी मार्गदर्शक कारक पर विचार किया जाना चाहिए

एस में उल्लिखित दस्तावेजों का। 94 (2) .

ऋषिपाल सिंह सोलंकी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य

& ओआरएस।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1.1 जेजे अधिनियम, 2000 के निरसन और जेजे अधिनियम, 2015 के प्रवर्तन पर, जब बोर्ड के अलावा किसी अन्य न्यायालय के समक्ष किशोरता का दावा किया जाता है, तो धारा 9 (2) और (3) के तहत प्रक्रिया का पालन किया जाता है। जेजे नियमों के नियम 12 के समान किशोरता निर्धारित करने के लिए कोई संबंधित नियम नहीं है। 2007. दूसरी ओर, जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 94 के तहत यह धारणा व्यक्त की जाती है कि जब किसी व्यक्ति को जेजे बोर्ड या बाल कल्याण समिति ('समिति') (साक्ष्य देने के उद्देश्य के अलावा) के समक्ष लाया जाता है और उक्त व्यक्ति एक बच्चा होता है, तो जेजे बोर्ड या समिति ऐसा रिकॉर्ड करेगी

बच्चे की उम्र को लगभग जितना हो सके बताते हुए अवलोकन, और उम्र की आगे की पुष्टि की प्रतीक्षा किए बिना, धारा 14 या 20 धारा 36 के तहत जांच के साथ आगे बढ़ें। लेकिन जहां उक्त बोर्ड या समिति के समक्ष लाया गया व्यक्ति बच्चा है या नहीं, इस बारे में संदेह के लिए उचित आधार हैं, वहां जे. जे. बोर्ड या समिति, जैसा भी मामला हो, (i) स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र की तारीख, या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो, और उसके अभाव में; (ii) किसी निगम द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र या कोई अन्य प्रमाण पत्र प्राप्त करके आयु निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करेगी। नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत; (iii) और केवल (i) और (ii) से ऊपर की अनुपस्थिति में, आयु का निर्धारण समिति या बोर्ड के आदेश पर आयोजित एक अस्थिकरण परीक्षण या किसी अन्य नवीनतम चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण द्वारा किया जाएगा। जेजे अधिनियम, 2000 की धारा 7 ए के तहत, जिसे 22.08.2006 के प्रभाव से एक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यह तर्क देते हुए किशोरता का दावा करने का प्रावधान किया गया था कि आरोपी व्यक्ति अपराध करने की तारीख को किशोर था और ऐसे मामले में, रिकॉर्ड पर लिए गए साक्ष्य पर, ऐसे व्यक्ति की उम्र के बारे में एक निष्कर्ष अदालत द्वारा दर्ज किया जाना था, जेजे बोर्ड के अलावा। किशोरता का दावा किसी भी न्यायालय के समक्ष और किसी भी स्तर पर उठाया जा सकता है, यहां तक कि

किसी मामले के अंतिम निपटारे के बाद और इस तरह के दावे का निर्धारण उक्त अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के संदर्भ में किया जाना था। यदि न्यायालय ने किसी व्यक्ति को किशोर पाया जे. जे. अधिनियम, 2000 की धारा 7 ए की उप-धारा (1) के तहत अपराध करने की तारीख, उसे किशोर को जे. जे. [2021] 12 एस. सी. आर. के पास भेजना था।

उचित आदेश पारित करने के लिए बोर्ड और सजा, यदि कोई हो,

न्यायालय द्वारा पारित किए जाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालाँकि, जेजे अधिनियम, 23 2015 के तहत, जेजे अधिनियम, 2000 की धारा 7 ए के अनुरूप एक प्रावधान उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा 2 के रूप में है। [पारस 21-23] [521-D; 522-A-F; 523-F-H; 524-A]

1.2 दोनों के तहत प्रक्रिया में अंतर

अधिनियमों को निम्नानुसार समझा जा सकता हैः

उक्त अधिनियम की धारा 94 के अनुसार समिति या जेजे बोर्ड के आदेश पर आयोजित किया जाने वाला कोई अन्य चिकित्सा आयु संबंधी परीक्षण। अधिनियम; जबकि, जेजे नियम, 2007 के नियम 12 के तहत, प्रासंगिक दस्तावेजों के अभाव में, विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड से चिकित्सा राय लेनी थी जो किशोर या बच्चे की उम्र घोषित करेगा।

((ii) साक्ष्य के रूप में प्रदान किए जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में, जेजे नियम, 2007 के नियम 12 के तहत जो प्रदान किया गया था, उसे जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 94 की उप-धारा 2 के तहत एक ठोस प्रावधान के रूप में प्रदान किया गया है।

(iii) जेजे अधिनियम, 2000 की धारा 49 के तहत, जहां यह प्रकट हुआ

किसी सक्षम प्राधिकारी को कि उसके समक्ष लाया गया कोई व्यक्ति किशोर या बच्चा था, तो ऐसा प्राधिकारी, जांच करने और आवश्यक साक्ष्य लेने के बाद, ऐसे व्यक्ति की किशोरता के बारे में निष्कर्ष दर्ज कर सकता है और ऐसे व्यक्ति की आयु लगभग बता सकता है। धारा 49 की उप-धारा (2)

यह कहा गया है कि किसी सक्षम प्राधिकारी का कोई भी आदेश केवल किसी भी बाद के प्रमाण से अमान्य नहीं माना जाएगा कि जिस व्यक्ति के संबंध में आदेश दिया गया था, वह अवैध नहीं है।

किशोर और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम के उद्देश्य से उसके समक्ष लाए गए व्यक्ति की आयु के रूप में दर्ज की गई आयु को उस व्यक्ति की वास्तविक आयु माना जाएगा।

जेजे बोर्ड को आयु बताते हुए इस तरह के अवलोकन को दर्ज करना होगा बच्चा जितना हो सके उतना करीब हो और उम्र की आगे की पुष्टि की प्रतीक्षा किए बिना पूछताछ के साथ आगे बढ़े।

यह केवल तभी होता है जब ऋषिपाल सिंह सोलांकी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य

& ओआरएस।

समिति या जेजे बोर्ड के पास इस बारे में संदेह के लिए उचित आधार हैं कि उसके सामने लाया गया व्यक्ति बच्चा है या नहीं, वह साक्ष्य मांगकर आयु निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। धारा 94 की उप-धारा (3) में कहा गया है कि समिति या जेजे बोर्ड द्वारा दर्ज की गई आयु को अधिनियम के उद्देश्य से उसके सामने लाए गए व्यक्तियों की आयु माना जाएगा। इस प्रकार, अभिलिखित आयु के निर्धारण के साथ एक अंतिमता जुड़ी हुई है और यह केवल उस मामले में है जहां इस बात पर संदेह के लिए उचित आधार मौजूद हैं कि समिति या बोर्ड के समक्ष लाया गया व्यक्ति बच्चा है या नहीं, कि साक्ष्य मांगकर आयु निर्धारण की प्रक्रिया

करना पड़ता है। [पारस 25-27] [524-E-F; 525-A-E] 1.3 (i) मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी आपराधिक कार्यवाही के किसी भी चरण में किशोरता का दावा किया जा सकता है। ए.

किशोरावस्था के दावे को उठाने में देरी इस तरह के दावे को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकती है। इसे पहली बार इस न्यायालय के समक्ष भी उठाया जा सकता है।

((ii) किशोरावस्था का दावा करने वाला आवेदन या तो किया जा सकता है।

(आई. ए.) जब किसी न्यायालय के समक्ष किशोरावस्था का मुद्दा उठता है, तो यह जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 9 की उप-धारा (2) और (3) के तहत होगा, लेकिन जब किसी व्यक्ति को समिति या जेजे के समक्ष लाया जाता है। बोर्ड, जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 94 लागू होती है।

(आई. आई. बी.) यदि किशोर होने का दावा करते हुए न्यायालय के समक्ष कोई आवेदन दायर किया जाता है, तो जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 94 की उप-धारा (2) के प्रावधान को धारा 9 की उप-धारा (2) के साथ लागू या पढ़ना होगा ताकि व्यक्ति की आयु को लगभग बताने वाले निष्कर्ष को दर्ज करने के उद्देश्य से साक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

((iic) जब किशोरावस्था का दावा करने वाला आवेदन जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 94 के तहत जेजे बोर्ड के समक्ष किया जाता है, जब -

कथित अपराध के संबंध में मामला अदालत के समक्ष लंबित है, फिर जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 94 के तहत विचार की गई प्रक्रिया लागू होगी। उक्त प्रावधान के तहत यदि जेजे बोर्ड के पास इस बारे में संदेह के लिए उचित आधार हैं कि उसके सामने लाया गया व्यक्ति बच्चा है या नहीं, तो बोर्ड साक्ष्य [2021] 12 एस. सी. आर. मांगकर आयु निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करें।

और जेजे बोर्ड द्वारा दर्ज की गई आयु व्यक्ति की आयु है

इस प्रकार उसके समक्ष लाए जाने पर, जेजे अधिनियम, 2015 के प्रयोजन के लिए, उस व्यक्ति की वास्तविक आयु मानी जाएगी। इसलिए जे. जे. बोर्ड के समक्ष ऐसी कार्यवाही में आवश्यक सबूत की मात्रा, जब संबंधित आपराधिक अदालत के समक्ष मुकदमा होने पर किशोरता के दावे के लिए आवेदन दायर किया जाता है, तब उस अदालत द्वारा जांच किए जाने की तुलना में अधिक होती है जिसके समक्ष अपराध करने के संबंध में मामला लंबित होता है (जे. जे. अधिनियम, 2015 की धारा 9 के अनुसार)।

(iii) कि जब किशोरावस्था के लिए दावा किया जाता है, तो दावा करने वाले व्यक्ति पर आरोप है कि वह अदालत को संतुष्ट करने के लिए दावा करता है।

प्रारंभिक बोझ। तथापि, जेजे अधिनियम, 2000 या जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 94 की उप-धारा (2) के तहत बनाए गए जेजे नियम 2007 के नियम 12 (3) (ए) (आई), (ii) और (iii) में उल्लिखित दस्तावेज,

न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि के लिए पर्याप्त होगा। उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर किशोरावस्था की धारणा हो सकती है - उठाया गया।

((iv) हालाँकि उक्त धारणा किशोरावस्था की आयु का निर्णायक प्रमाण नहीं है और इसका खंडन किया जा सकता है।

सबूत विपरीत पक्ष द्वारा दिया जाता है। (v) कि न्यायालय द्वारा जाँच की प्रक्रिया व्यक्ति की आयु को किशोर घोषित करने के समान नहीं है।

जेजे बोर्ड के समक्ष जब मामला संबंधित आपराधिक अदालत के समक्ष मुकदमे के लिए लंबित हो। जाँच के मामले में, न्यायालय प्रथम दृष्टया निष्कर्ष दर्ज करता है लेकिन जब उम्र का निर्धारण होता है 2015 अधिनियम की धारा 94 की उप-धारा (2) के अनुसार, साक्ष्य के आधार पर एक घोषणा की जाती है। साथ ही जेजे बोर्ड द्वारा दर्ज की गई आयु को लाए गए व्यक्ति की वास्तविक आयु माना जाएगा।

उससे पहले। इस प्रकार, जांच में सबूत का मानक उस कार्यवाही में आवश्यक प्रमाण से अलग होता है जिसमें किसी व्यक्ति की उम्र का निर्धारण और घोषणा जांच किए गए सबूत के आधार पर की जाती है और केवल तभी स्वीकार की जाती है जब वह इसके योग्य हो।

स्वीकृति।

((vi) कि किसी व्यक्ति की आयु निर्धारित करने के लिए एक अमूर्त सूत्र निर्धारित करना न तो संभव है और न ही वांछनीय है। यह अभिलेख पर सामग्री के आधार पर और प्रत्येक मामले में पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की सराहना पर होना चाहिए।

(vii) एक अति-तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए जब अभियुक्त की ओर से इस दलील के समर्थन में सबूत पेश किया जाता है कि वह एक किशोर था।

(viii) यदि एक ही साक्ष्य पर दो विचार संभव हैं, तो अदालत को आरोपी को किशोर ठहराने के पक्ष में झुकना चाहिए।

सीमा रेखा मामलों में। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि जेजे अधिनियम, 2015 का लाभ कानून के साथ संघर्ष में किशोरों पर लागू किया जाए। साथ ही, न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गंभीर अपराध करने के बाद सजा से बचने के लिए व्यक्तियों द्वारा जेजे अधिनियम, 2015 का दुरुपयोग न किया जाए।

(ix) कि जब आयु का निर्धारण स्कूल रिकॉर्ड जैसे साक्ष्य के आधार पर होता है, तो यह आवश्यक है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अनुसार विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में रखे गए किसी भी सार्वजनिक या आधिकारिक दस्तावेज की निजी दस्तावेजों की तुलना में अधिक विश्वसनीयता होगी।

(x) कोई भी दस्तावेज जो सार्वजनिक दस्तावेजों के अनुरूप है, जैसे कि मैट्रिक प्रमाण पत्र, न्यायालय या जेजे बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जा सकता है बशर्ते कि ऐसा सार्वजनिक दस्तावेज भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विश्वसनीय और प्रामाणिक हो। , धारा 35 और अन्य प्रावधान।

(xi) आयु निर्धारण और किसी व्यक्ति की आयु के संबंध में यांत्रिक दृष्टिकोण के लिए ऑसिफिकेशन टेस्ट एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता है।

रेडियोलॉजिकल परीक्षा द्वारा केवल चिकित्सा राय के आधार पर अपनाया नहीं जा सकता है। इस तरह के साक्ष्य निर्णायक साक्ष्य नहीं हैं, बल्कि जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 94 (2) में उल्लिखित दस्तावेजों के अभाव में विचार करने के लिए केवल एक बहुत ही उपयोगी मार्गदर्शक कारक हैं। [पैरा 29] [535-ए-एच; 536-ए-एच; 537-ए-डी]

1.4 जे. जे. बोर्ड, बागपत ने अपने दिनांकित 14.09.2020 के आदेश द्वारा उसकी चिकित्सीय जांच की मांग करने वाले आवेदन को खारिज कर दिया।

उत्तरदाता नं। 2 यहाँ और वहाँ दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है

कि वही अलग रखा गया है। जेजे बोर्ड के अनुसार, संबंधित बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक प्रमाण पत्र ने जन्म तिथि को 25.09.2004 के रूप में इंगित किया और इस तरह के दस्तावेज के अभाव में ही आयु का निर्धारण ऑसिफिकेशन टेस्ट या किसी अन्य नवीनतम चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण द्वारा किया जाना था।

तत्काल मामले में, चूंकि मैट्रिक बोर्ड का प्रमाण पत्र उपलब्ध था, इसलिए प्रतिवादी नं. 2 . दिनांक 11.11.2020 के आदेश द्वारा, जेजे बोर्ड घोषित प्रतिवादी नं। 2 आई. पी. सी. पी. एस. सिंघावली अहीर, जिला बागपत की धारा 147,148,149,323,307,302 और 34 के तहत अपराधों के लिए 2020 के केस क्राइम No.116 में एक किशोर अपराधी के रूप में। उपरोक्त आदेश को जिले द्वारा बनाए रखा गया है और

बर्खास्त कर दिया। यह जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 94 की उप-धारा (3) के बल पर है जो एक उपबंध है। हालांकि अपीलार्थी के विद्वान वकील ने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्यर्थी नं. 2 कक्षा 1 और कक्षा 8 के प्रवेश प्रपत्र समान हैं और कक्षा 1 के प्रवेश प्रपत्र पर ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि जब उन्हें कक्षा 1 में भर्ती कराया गया था तब वे केवल साढ़े चार साल के थे। लेकिन तथ्य यह है कि 2019 में, जब प्रतिवादी नहीं। 2 10वीं कक्षा पूरी करने के बाद, मैट्रिक प्रमाण पत्र में उनकी जन्म तिथि 25.09.2004 के रूप में दिखाई गई है। अतः, प्रतिवादी

नहीं। 2 घटना की तारीख को उनकी उम्र केवल 15 वर्ष थी, और किसी भी मामले में उनकी उम्र 16 वर्ष से कम थी। वहाँ की अनुपस्थिति में

अपीलार्थी द्वारा यहाँ अभिलेख पर लाया गया कोई भी खंडन साक्ष्य होने के नाते, भले ही कक्षा 1 और कक्षा 8 में प्रवेश चाहने वाले दस्तावेज अस्वीकृत या अस्वीकृत हों, तथ्य यह है कि प्रत्यर्थी सं. 2 , संबंधित बोर्ड द्वारा जारी, इस धारणा को जन्म देता है कि घटना की तारीख को उसकी आयु 16 वर्ष से कम थी

i. e.05.05। 2020 . [पैरा 37,39-42] [539-B-C, E-H; 540-A-D]

1.5 अभियुक्त प्रतिवादी नं. की हाई स्कूल मार्कशीट की एक फोटोकॉपी। 2 राजपत्र वर्ष 2019 के साथ, अनुक्रमणिका No.0485064 वर्ष

2019 , जिसके संबंध में प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यवर्ती ऋषिपाल सिंह सोलंकी बनाम से प्राप्त सत्यापन पत्र No.R.O.I.E.C./records/4016 दिनांक 22.07.2020 है।

उत्तर प्रदेश राज्य

& ओआरएस।

7 घटना की तारीख को आयु के महीने जो किसी भी मामले में 16 वर्ष से कम हो। तत्काल मामले में, निश्चित रूप से, दूसरे के जन्म की तारीख का संकेत देने वाला कोई अन्य दस्तावेज नहीं है। में जो संकेत दिया गया है, उसके विपरीत प्रतिवादी

मैट्रिक प्रमाणपत्र। जन्म तिथि में कोई विसंगति यहाँ नहीं आती है। अपीलार्थी द्वारा दूसरे प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के लिए कोई विरोधाभासी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों में, यह न्यायालय उच्च न्यायालय के उस आदेश से अलग होने के लिए इच्छुक नहीं है जिसने इस मामले में जिला और सत्र न्यायालय के साथ-साथ जेजे बोर्ड के फैसले को कायम रखा। [पैरा 44,46] [540-जी-एच; 541-ए-बी; 541-डी-ई]

संजीव कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्र। (2019) 12 एससीसी 370: [2019] 9 एससीआर 735-प्रतिष्ठित।

उक्त अनुमान बच्चे के अवलोकन पर लगाया जाना चाहिए। तथापि, उक्त अनुमान तब नहीं लगाया जा सकता है जब समिति या बोर्ड के पास संदेह के लिए उचित आधार हैं कि उसके सामने लाया गया व्यक्ति बच्चा है या नहीं। ऐसे में

इस प्रकार उसके समक्ष लाए गए व्यक्ति की आयु जेजे अधिनियम, 2015 के प्रयोजन के लिए व्यक्ति की वास्तविक आयु मानी जाएगी। जेजे [2021] 12 एस. सी. आर. की धारा 94 की उप-धारा (3) में डीमिंग प्रावधान

अधिनियम, 2015 भी महत्वपूर्ण है क्योंकि समिति या जेजे बोर्ड के समक्ष लाए गए बच्चे की उम्र के बारे में विवाद या संदेह को जे बोर्ड या समिति के स्तर पर ही समाप्त करने की मांग की जाती है। [पैरा 47,48] [541-एफ-एच 542-सी-डी]

बबलू पासी बनाम। झारखंड राज्य (2008) 13 एससीसी

133 : [2008] 14 एससीआर 161; एम. पी. वी. अनूप सिंह राज्य

(2015) 7 एससीसी 773: [2015] 6 एस. सी. आर. 960; अश्विनी कुमार

सक्सेना बनाम। मध्य प्रदेश राज्य (2012) 9 एससीसी

750 [2012] 10 एस. सी. आर. 540; अर्नीत दास बनाम। बिहार राज्य

(2000) 5 एससीसी 488: [2000] 1 पूरक। एससीआर 69; जितेंद्र

राम वी. झारखंड राज्य (2006) 9 एससीसी 428: [2006]

1 पूरक। एससीआर 286; भोला भगत और अन्य बनाम। की स्थिति

बिहार (1997) 8 एससीसी 720: [1997] 4 पूरक। एससीआर 711;

जबर सिंह बनाम। दिनेश और दूसरा (2010) 3 एस. सी. सी. 757

: [2010] 3 एस. सी. आर. 353; मध्य प्रदेश राज्य बनाम। अनूप

सिंह (2015) 7 एससीसी 733; राम विजय सिंह बनाम राज्य

उत्तर प्रदेश 2021 सी. आर. आई. एल. जे. 2805-पर निर्भर था।

अबुज़र हुसैन उर्फ गुलाम हुसैन बनाम। पश्चिमी राज्य

बंगाल (2012) 10 एस. सी. सी. 489: [2012] 9 एससीआर 244; पराग भाटी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2016) 12 एससीसी 744:

[2016] 2 एस. सी. आर. 1089 निर्दिष्ट है।

मामला कानून संदर्भ

[2016] 2 एससीआर 1089

पै

रा 12

संदर्भित किया गया है

[2019] 9 एससीआर 735

प्रतिष्ठित

पै

रा 12

[2012] 9 एससीआर 244

संदर्भित किया गया है

पै

रा 12

[2008] 14 एससीआर 161

उस पर भरोसा करें

पै

रा 16

[2015] 6 एससीआर 960

उस पर भरोसा करें

पै

रा 16

[2012] 10 एससीआर 540

पै

रा 28 (ए)

उस पर भरोसा करें

पै

रा 28 (सी)

[2000] 1 पूरक। एससीआर 69

उस पर भरोसा करें

[2006] 1 पूरक। एससीआर 286

पै

रा 28 (डी)

उस पर भरोसा करें

[1997] 4 पूरक। एससीआर 711

पै

रा 28 (डी)

उस पर भरोसा करें

[2010] 3 एससीआर 353

पै

रा 28 (ई)

ऋषिपाल सिंह सोलंकी बनाम पर भरोसा किया। उत्तर प्रदेश राज्य

& ओआरएस।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

2021 का सं. 1240।

2021 के आपराधिक संशोधन No.430 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 12.03.2021 से।

अनुपम द्विवेदी, प्रदीप कुमार द्विवेदी, संदीप कुमार द्विवेदी, सत्यम पांडे, विश्वेश्वर मिश्रा, विकास कुमार सिन्हा, राकेश मिश्रा, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

शरण ठाकुर, एएजी, सर्वेश सिंह बघेल, शांतनु सिंह, सौरभ त्रिवेदी, एस. सी. त्रिपाठी, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

नागरत्ना जे।

1. अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 12.03.2021 के विवादित आदेश के खिलाफ इस अपील को प्राथमिकता दी है।

2021 के आपराधिक संशोधन No.430 में इलाहाबाद जिसमें उच्च न्यायालय ने

अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम (विशेष न्यायालय), बागपत, उत्तर प्रदेश द्वारा 2020 की आपराधिक अपील को खारिज करते हुए पारित किए गए 04.01.2021 के फैसले और आदेश के खिलाफ दायर उपरोक्त आपराधिक संशोधन को खारिज कर दिया। उक्त अपराधी

प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, बागपत द्वारा 2020 के केस क्राइम No.116 से उत्पन्न 2020 के विविध मामले No.16 को अनुमति देने वाले दिनांक 11.11.2020 के आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई थी।

भारतीय दंड संहिता की धारा 147,148,149,323,307,302 और 34 (संक्षेप में, 'आई. पी. सी.'), सिंहवाली अहिर, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश में पुलिस स्टेशन और आरोपी घोषित करना-निशांत सोलंकी @निशु (प्रतिवादी सं. 2) एक किशोर अपराधी के रूप में।

2. स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तथ्य यह है कि, लगभग 4 बजे 05.05.2020 पर हुई एक घटना मेंः 00 पी. एम., अन्य बातों के साथ-साथ, उत्तरदाता नं. 2 - निशांत

सोलंकी @निशू (इसके बाद 'निशांत' के रूप में संदर्भित) ने अन्य अभियुक्तों के साथ अपीलार्थी और उसके परिवार पर हमला किया, जिससे गंभीर चोटें आईं और साथ ही अपीलार्थी के पिता भोपाल सिंह की मृत्यु हो गई, जिन्हें उसी दिन डॉक्टर द्वारा 'मृत लाया गया' घोषित कर दिया गया था, यानी 05.05.2020 और उनके चाचा कालूराम, जिनकी मृत्यु उपरोक्त घटना में उन्हें लगी गंभीर चोटों के कारण 09.05.2020 पर हुई थी।

3. निशांत, अपनी माँ/प्राकृतिक अभिभावक के माध्यम से-उत्तरदाता नहीं। 3 इसमें, इससे पहले विविध मामला No.16/2020 होने के कारण एक आवेदन दायर किया गया था

किशोर न्याय बोर्ड (इसके बाद 'जेजे बोर्ड' के रूप में संदर्भित), [2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बागपत, उसमें प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रतिवादी नहीं। 2 / अभियुक्त अर्थात्। , निशांत को किशोर अपराधी घोषित किया जाए। प्रतिवादी सं. के माध्यम से उक्त आवेदन पर साक्ष्य दिया गया था। 3 माँ और प्राकृतिक कौन है निशांत के संरक्षक। उसी के बारे में पता चलने पर, अपीलार्थी ने अपने वकील के माध्यम से उक्त कार्यवाही में उपस्थिति दर्ज कराई

और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 (संक्षेप में, 'Cr.P.C') के तहत दिनांक 20.07.2020 पर एक आवेदन दायर किया। जेजे बोर्ड को पार करने के लिए-परीक्षक जवाब संख्या। 3 . इसमें अपीलार्थी को 22.07.2020 पर ऐसा करने की अनुमति दी गई थी, जिस तारीख को निशांत की माँ की आगे की प्रतिपरीक्षा के लिए आवेदन पोस्ट किया गया था। उक्त तिथि पर, प्रतिवादी नं. 3 अपीलार्थी द्वारा आगे प्रतिपरीक्षा की गई।

4. एक अन्य गवाह, मनोज कुमार, प्राचार्य, सरदार वल्लभभाई पटेल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शजरपुर, कैदना, जिला बागपत, आई. डी. 1 पर डी. डब्ल्यू.-2 के रूप में भी जांच की गई और बाद में, सर्वोदय पब्लिक स्कूल, खिंडोरा, जिला बागपत के प्राचार्य सुरेंद्र कुमार सैनी को डी. डब्ल्यू.-3 के रूप में जांच की गई।

5. पुलिस ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 147,148,149,323,307,302 और 34 के तहत आरोप पत्र भी दायर किया।

उत्तरदाता नं। 2 - 22.07.2020 पर निशांत।

8. उच्च न्यायालय के समक्ष उपरोक्त कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, जेजे बोर्ड, बागपत ने 11.11.2020 दिनांकित आदेश के माध्यम से आवेदन को विविध होने की अनुमति दी। प्रतिवादी सं. द्वारा दायर मामला No.16/2020। 3 निशांत की माँ और निशांत को किशोर अपराधी घोषित किया। हमला करना। उक्त आदेश में, अपीलार्थी ने आपराधिक अपील No.27 ऋषिपाल सिंह सोलंकी बनाम के रूप में एक अपील दायर की।

उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [बी. वी. नागरत्ना जे.]

जिला और सत्र न्यायाधीश, बागपत के समक्ष किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (इसके बाद 'जेजे अधिनियम, 2015' के रूप में संदर्भित) की धारा 101 के तहत 2020 का प्रावधान। उक्त न्यायालय ने अपने दिनांकित 04.01.2021 निर्णय द्वारा उक्त अपील को खारिज कर दिया, जिसके विरुद्ध

दिनांकित आक्षेपित आदेश 12.03.2021। इससे व्यथित होकर, अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति द्वारा वर्तमान अपील दायर की है। 9. हमने सुना है कि श्री अनुपम द्विवेदी, अपीलार्थी के विद्वान वकील, श्री शरण ठाकुर, के लिए विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता

10. अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री द्विवेदी ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी नहीं। 2 के तहत गंभीर अपराध करने का आरोप लगाया गया है आई. पी. सी. की धारा 147,148,149,323,307,302 और 34 अन्य सह-अभियुक्तों के साथ, लेकिन प्रतिवादी नं. 2 किशोरावस्था का दावा करते हुए एक आवेदन दायर किया है और इसे बागपत में जेजे बोर्ड द्वारा गलती से अनुमति दी गई है, जिसे अपीलीय अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा भी बरकरार रखा गया है। यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त की ओर से जांचे गए गवाहों के साक्ष्य में विरोधाभास हैं-प्रतिवादी नं। 2 , विशेष रूप से, उसकी माँ की जन्म तिथि के संबंध में जिसे 25.09.2004 कहा गया है, लेकिन यह कानून के अनुसार स्थापित नहीं किया गया है। विद्यालय प्रवेश प्रपत्र (अनुलग्नक पी-11) इस प्रकार प्रस्तुत किया गया था

11. Ex. A-8 में, हमारा ध्यान कॉलम No.15 की ओर आकर्षित किया गया था जिसमें छात्र की आधार संख्या को भरने की आवश्यकता होती है, यह तर्क देने के लिए कि उक्त कहा जाता है कि फॉर्म 02.07.2009 पर प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्रतिवादी नं. 2. जुलाई 2001 में यू. आई. डी./आधार संख्या प्रस्तुत करने की आवश्यकता बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं हो सकी क्योंकि यह पहली बार महाराष्ट्र के नंदुरबार के निवासी को केवल 29.09.2010 पर जारी किया गया था। यह था।

आग्रह किया गया thatEx.A-8 (अनुलग्नक पी-11) प्रतिवादी संख्या की आयु को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए एक लिखित दस्तावेज़ है। 2 और इस प्रकार लाभ [2021] 12 एस. सी. आर. का दावा करते हैं।

किशोरावस्था। यह आगे तर्क दिया गया कि यदि वर्ष 2009 में, प्रत्यर्थी नं। 2 जब वे पाँच साल से कम उम्र के थे तब उन्होंने पहली कक्षा में प्रवेश लिया था, तब केवल पाँच साल की अवधि के बाद, वे आठवीं कक्षा में प्रवेश नहीं ले सकते थे। इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि वह कक्षा 1 में प्रवेश लेने के पांच साल बाद ही कक्षा 8 में प्रवेश कैसे ले सकता था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्राथमिक विद्यालय के प्राचार्य डी. डब्ल्यू.-3 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान स्वीकार किया कि कक्षा 1 और कक्षा 8 के प्रवेश पत्रों पर निशांत के हस्ताक्षर समान हैं। इसलिए यह तर्क दिया गया कि यह संदिग्ध है कि एक शिशु, जिसकी आयु लगभग चार वर्ष थी, (यदि वास्तव में प्रतिवादी नं. 2 25.09.2004 था) जब उसने कक्षा 1 में प्रवेश की मांग की थी तो वह स्कूल के प्रवेश पत्र पर अपने नाम पर हस्ताक्षर कर सकता था। यह तर्क दिया गया था कि इस तरह के हस्ताक्षर जाली हैं

चार साल की उम्र का कोई भी बच्चा स्कूल के प्रवेश पत्र पर अपने नाम पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता था और दूसरा, उस समय कक्षा 1 में प्रवेश भी नहीं ले सकता था।

उम्र।

12. यह तर्क दिया गया कि जे. जे. बोर्ड ने जे. जे. अधिनियम, 2015 की धारा 94 के पीछे के विधायी इरादे की सराहना नहीं की है, यह घोषणा करते हुए कि मैट्रिक प्रमाण पत्र एक निर्णायक दस्तावेज है।

गवाहों की मौखिक गवाही या पेश किए जा रहे अन्य दस्तावेजों में अन्य भौतिक विसंगतियों के बावजूद किशोर की आयु। उक्त प्रस्तुतियों के समर्थन में पराग भाटी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2016) 12 एस. सी. सी. 744; संजीव कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. पर निर्भरता रखी गई थी। -(2019) 12 एस. सी. सी. 370; और अबुज़र हुसैन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य-(2012) 10 एस. सी. सी. 489।

13. यह आगे तर्क दिया गया कि उपरोक्त मामलों में, अभियुक्त के किशोर होने के दावे को विसंगतियों के कारण खारिज कर दिया गया था।

साक्ष्य, इस तथ्य के बावजूद कि मैट्रिक के अनुसार

अभियुक्तों को प्रमाण पत्र दिया गया, वे किशोर थे। दूसरे शब्दों में, यह तर्क दिया गया था कि मैट्रिक प्रमाण पत्र में दिखाई गई आयु को उसके अंकित मूल्य पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है यदि कोई अन्य साक्ष्य है जो इसके विपरीत है। इसलिए यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय के विवादित आदेश, अपीलीय अदालत के फैसले और जेजे बोर्ड, बागपत द्वारा पारित आदेश को दरकिनार किया जा सकता है और प्रतिवादी नं. 2 - निशांत को बर्खास्त किया जा सकता है।

14. श्री शरण ठाकुर, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता, ने अपीलार्थी के विद्वान वकील की दलीलों का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि मैट्रिक प्रमाण पत्र प्रतिवादी नं। 2 ऋषिपाल सिंह सोलंकी बनाम के साथ के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [बी. वी. नागरत्ना जे.]

दस्तावेज़, हालांकि मैट्रिक प्रमाणपत्र में दर्शाई गई निशांत की आयु पूर्व-ए 8 और ए 9 में दर्शाई गई आयु के साथ मेल खाती है। यह तर्क दिया गया कि इन दस्तावेजों को उनके अंकित मूल्य पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उक्त प्रदर्शनों पर निशांत के हस्ताक्षर नहीं हो सकते थे। वे उस उम्र के अनुरूप भी नहीं हैं जिस उम्र में निशांत को स्कूल में भर्ती कराया गया होगा और उन्होंने अपनी मैट्रिक पूरी की होगी। इसलिए, यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय के आदेश के साथ-साथ विद्वान जिला न्यायाधीश और जेजे बोर्ड के आदेशों को रद्द किया जा सकता है।

15. श्री सौरभ त्रिवेदी, प्रत्यर्थी सं. के विद्वान वकील। 2

और 3 ने तर्क दिया कि निशांत का जन्म 25.09.2004 और घटना की तारीख यानी e.05.05 पर हुआ था। 2020 , वह केवल 15 वर्ष और 8 वर्ष की उम्र में नाबालिग था।

महीनों की उम्र। शुरू में, उन्होंने गाँव के एक निजी स्कूल में पढ़ाई की और 2009 में कक्षा 1 में प्रवेश लिया; उन्होंने सर्वोदय पब्लिक जूनियर हाई स्कूल, गाँव खिंडोडा, जिला बागपत से कक्षा 6,7 और 8 उत्तीर्ण की और 31.03.2017 पर स्कूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया जिसमें उनकी जन्म तिथि 25.09.2004 के रूप में दिखाई गई थी; कि निशांत ने <ID2 पर सरदार वल्लभ भाई पटेल हायर सेकेंडरी स्कूल, खंजरपुर खादर, जिला बागपत में दाखिला लिया और अपना हाई स्कूल पूरा किया और 85 प्रतिशत अंकों के साथ बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण की। यू. पी. राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10 के लिए बोर्ड परीक्षा के पूरा होने पर एक हाई स्कूल प्रमाण पत्र जारी किया जिसमें उनकी जन्म तिथि 25.09.2004 दिखाई गई। इसलिए, घटना की तारीख को अर्थात e.05.05। 2020 , उत्तरदाता नं। 2 किशोर था और इसलिए जेजे बोर्ड के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी प्रतिवादी सं. के मामले की उचित रूप से सराहना की। 2 - निशांत ने किशोर होने का दावा करते हुए अपने आवेदन को स्वीकार कर लिया। यह तर्क दिया गया था कि मैट्रिक

उक्त का संचालन करने वाले बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र या प्रमाण पत्र

जांच (अनुलग्नक पी-15) जेजे अधिनियम, 2015 की आवश्यकताओं के अनुसार किशोर की उम्र का पर्याप्त प्रमाण है। रिलायंस को अश्विनी कुमार सक्सेना बनाम पर रखा गया था। एम. पी. राज्य-(2012) 9 एस. सी. सी. 750, यह तर्क देने के लिए कि मैट्रिक प्रमाणपत्र एक ऐसा दस्तावेज है जिस पर किशोर अभियुक्त की आयु के निर्धारण के लिए पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता है। इसलिए इस अपील में कोई दम नहीं है।

16. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी सं. का अस्थिकरण परीक्षण नहीं ले सकता है। 2 बबलू पासी बनाम झारखंड राज्य-(2008) 13 एस. सी. सी. के अनुसार उनकी आयु निर्धारित करने के उद्देश्य से यह उम्र निर्धारित करने के उद्देश्य से निर्णायक नहीं है।

133 और एम. पी. बनाम राज्य अनूप सिंह-(2015) 7 एस. सी. सी. 773।

1] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

17. यह आग्रह किया गया कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी सं. के मामले को नकारने में सफल नहीं हुआ है। 2 निशांत, जो घटना की तारीख को नाबालिग है, जेजे अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत सभी सुरक्षा का हकदार है। यह प्रस्तुत किया गया था कि अपील में कोई योग्यता नहीं है और इसे खारिज किया जा सकता है।

18. जेजे अधिनियम, 2015 किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (जिसे इसके बाद 'जेजे अधिनियम, 2000' के रूप में संदर्भित किया गया है) की अगली कड़ी है, जिसे तब से निरस्त कर दिया गया है। जेजे अधिनियम, 2000 के तहत 2006 के अधिनियम 33 द्वारा एक संशोधन किया गया था, जो 22.8.2006 से प्रभावी था, जिसके तहत धारा 7 ए को जोड़ा गया था जो निम्नानुसार हैः

" 7 ए. किशोरावस्था का दावा किए जाने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

किसी भी अदालत के सामने।

(1) जब भी किसी न्यायालय या न्यायालय के समक्ष किशोरता का दावा किया जाता है, तो यह राय होती है कि कोई अभियुक्त व्यक्ति अपराध करने की तारीख को किशोर था, न्यायालय जांच करेगा, ऐसा साक्ष्य लेगा जो आवश्यक हो (लेकिन शपथ पत्र नहीं) ताकि ऐसे व्यक्ति की आयु निर्धारित की जा सके, और यह निष्कर्ष दर्ज करेगा कि वह व्यक्ति किशोर है या बच्चा है या नहीं।

उनकी लगभग आयु बताते हुएः

बशर्ते कि किशोरावस्था का दावा किसी भी न्यायालय के समक्ष उठाया जा सकता है और इसे किसी भी स्तर पर, मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी मान्यता दी जाएगी, और इस तरह के दावे का निर्धारण इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधानों के संदर्भ में किया जाएगा, भले ही किशोर इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उससे पहले ऐसा करना बंद कर चुका हो।

(2) यदि अदालत किसी व्यक्ति को उप-धारा (1) के तहत अपराध करने की तारीख को किशोर पाती है, तो वह किशोर को उचित आदेश पारित करने के लिए बोर्ड के पास भेजेगी और अदालत द्वारा पारित सजा, यदि कोई हो, तो यह माना जाएगा कि वह नाबालिग नहीं है।

प्रभाव "। उक्त
अधिनियम की धारा 49 निम्नानुसार हैः

" 49. आयु का अनुमान और निर्धारण। - (1) जहां किसी सक्षम प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि उस व्यक्ति को इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत उसके समक्ष लाया गया है (इसके उद्देश्य के अलावा अन्यथा)

साक्ष्य देना) यदि कोई किशोर या बच्चा है, तो सक्षम प्राधिकारी उस व्यक्ति की उम्र और उसके लिए उचित जांच करेगा।

उद्देश्य ऐसे साक्ष्य को लेगा जो आवश्यक हो (लेकिन एक शपथ पत्र नहीं) और एक निष्कर्ष दर्ज करेगा कि क्या व्यक्ति किशोर है या बच्चा है या नहीं, जिसमें उसकी उम्र लगभग बताई जाएगी।

(2) किसी सक्षम प्राधिकारी का कोई भी आदेश केवल किसी भी बाद के प्रमाण से अमान्य नहीं समझा जाएगा कि जिस व्यक्ति के संबंध में आदेश दिया गया है वह किशोर या बच्चा नहीं है, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा दर्ज की गई आयु उस व्यक्ति की आयु है जिसे इसके समक्ष लाया गया है, इस उद्देश्य के लिए अधिनियम, उस व्यक्ति की वास्तविक आयु मानी जाए।

19. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण), 2007 के नियम 12 (इसके बाद 'जेजे नियम, 2007' के रूप में संदर्भित) ने आयु के निर्धारण के लिए नियम निर्धारित किए हैं। नियम 12 निम्नानुसार है -

(1) संघर्ष में एक बच्चे या एक किशोर से संबंधित प्रत्येक मामले में कानून, अदालत या बोर्ड या जैसा भी मामला हो, इन नियमों के नियम 19 में निर्दिष्ट समिति कानून के साथ टकराव में ऐसे किशोर या बच्चे या किशोर की उम्र का निर्धारण करेगी।

आवेदन करने की तारीख से तीस दिनों की अवधि

उस उद्देश्य के लिए। (2) न्यायालय या बोर्ड या समिति, जैसा भी मामला हो, किशोर या बच्चे या जैसा भी मामला हो, कानून के साथ टकराव में किशोर की किशोरता या अन्यथा, प्रथम दृष्टया शारीरिक उपस्थिति या दस्तावेजों के आधार पर, यदि उपलब्ध हो, निर्णय करेगी।

और उसे ऑब्जर्वेशन होम या जेल भेजें।

(3) संघर्ष में किसी बच्चे या किशोर से संबंधित प्रत्येक मामले में विधि, आयु निर्धारण जांच न्यायालय या बोर्ड या, यथास्थिति, समिति द्वारा साक्ष्य प्राप्त करके की जाएगी -

(क) (i) मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो;

और जिसके अभाव में;

((ii) स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र की तारीख (प्ले स्कूल के अलावा) पहली बार उपस्थित हुई; और जिसके अभाव में;

((iii) किसी निगम या नगरपालिका द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र। प्राधिकरण या पंचायत; [2021] 12 एस. सी. आर.

(बी) और केवल उपरोक्त खंड (ए) के (i), (ii) या (iii) में से किसी एक के अभाव में, विधिवत गठित चिकित्सक से चिकित्सा राय ली जाएगी।

आवश्यक, विचार करके बच्चे या किशोर को लाभ दें एक वर्ष के अंतराल के भीतर निचली ओर उसकी आयु।

और, ऐसे मामले में आदेश पारित करते समय, लेने के बाद ऐसे साक्ष्य पर विचार करना जो उपलब्ध हो, या चिकित्सा

राय, जैसा भी मामला हो, उसकी उम्र के संबंध में एक निष्कर्ष दर्ज करें।

और खंड (ए) (आई) में से किसी में भी निर्दिष्ट साक्ष्य, ((ii), (iii) या जिसके अभाव में खंड (ख) निर्णायक होगा।

संघर्ष में ऐसे बच्चे या किशोर के संबंध में उम्र का प्रमाण कानून के साथ।

(4) यदि किसी किशोर या बच्चे या किशोर की आयु के साथ संघर्ष हो रहा है

अपराध की तारीख को कानून 18 वर्ष से कम का पाया जाता है।

उप-नियम (3) में निर्दिष्ट किसी भी निर्णायक प्रमाण के आधार पर,

न्यायालय या बोर्ड या जैसा भी मामला हो समिति

आयु बताते हुए और स्थिति घोषित करते हुए एक आदेश पारित करें

किशोरावस्था या अन्यथा, अधिनियम और इन नियमों के उद्देश्य के लिए

और आदेश की एक प्रति ऐसे किशोर को दी जाएगी या

संबंधित व्यक्ति।

(5) बचाएँ और सिवाय जहां आगे की पूछताछ या अन्यथा की आवश्यकता है,

अन्य बातों के साथ-साथ अधिनियम की धारा 7 ए, धारा 64 और इन के संदर्भ में

नियम, अदालत या द्वारा आगे कोई जांच नहीं की जाएगी

बोर्ड प्रमाण पत्र या किसी अन्य की जांच करने और प्राप्त करने के बाद इस नियम के उप-नियम (3) में निर्दिष्ट दस्तावेजी प्रमाण।

(6) इस नियम में निहित प्रावधान उन पर भी लागू होंगे जो

ऐसे मामलों का निपटारा, जहां किशोरावस्था की स्थिति नहीं है उप में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया गया

नियम (3) और अधिनियम, जिसके तहत सजा के वितरण की आवश्यकता है किशोर के हित में उचित आदेश पारित करने के लिए अधिनियम

कानून के साथ टकराव में "। 20. जेजे नियम, 2007 का नियम 12 इस प्रक्रिया से संबंधित है कि

आयु के निर्धारण में विवाह। संघर्ष में एक व्यक्ति की किशोरताए. डब्ल्यू. का निर्णय प्रथम दृष्टया शारीरिक उपस्थिति के आधार पर किया जाना था, ऋषिपाल सिंह सोलंकी बनाम।

या दस्तावेज़, यदि उपलब्ध हो। लेकिन न्यायालय या जेजे बोर्ड द्वारा आयु के निर्धारण की जांच साक्ष्य प्राप्त करके की गई थीः (i) मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो और जिसके अभाव में; (ii) स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र की तारीख (प्ले स्कूल के अलावा) पहली बार उपस्थित हुआ; और जिसके अभाव में; (iii) किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र। केवल उपरोक्त (i), (ii) और (iii) में से किसी एक की अनुपस्थिति में, यह घोषित करने के लिए विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड से चिकित्सा राय ली जा सकती है कि -

किशोर या बच्चे की आयु। यह भी प्रावधान किया गया था कि जब निर्धारण किया जा रहा था, तो एक वर्ष के अंतराल के भीतर कम उम्र पर विचार करके बच्चे या किशोर को लाभ दिया जा सकता था। यदि कानून के साथ संघर्ष में एक किशोर 18 वर्ष से कम का पाया जाता है, तो न्यायालय द्वारा किशोरता की स्थिति घोषित करने के लिए एक आदेश पारित किया जाना था। उक्त प्रक्रिया उन मामलों के निपटारे के लिए भी लागू थी जहां किशोरावस्था की स्थिति अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित नहीं की गई थी।

21. जे. जे. अधिनियम, 2000 के निरसन और जे. जे. अधिनियम, 2015 के प्रवर्तन पर, किशोरावस्था का दावा किए जाने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया बोर्ड के अलावा किसी भी अदालत के समक्ष धारा 9 (2) और (3) के तहत निर्धारित किया गया है। वही नीचे पढ़ा जाता है -

" 2) यदि किसी व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप लगाया जाता है तो वह दावा करता है

बोर्ड के अलावा किसी अन्य अदालत के समक्ष, कि वह व्यक्ति अपराध करने की तारीख को एक बच्चा है या एक बच्चा था, या यदि अदालत की स्वयं यह राय है कि वह व्यक्ति अपराध करने की तारीख को एक बच्चा था, तो उक्त अदालत एक जांच करेगी, ऐसे व्यक्ति की उम्र निर्धारित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य (लेकिन एक हलफनामा नहीं) लेगी, और इस मामले पर एक निष्कर्ष दर्ज करेगी, जिसमें व्यक्ति की उम्र लगभग बताई जाएगीः

बशर्ते कि ऐसा दावा किसी भी न्यायालय के समक्ष उठाया जा सकता है और यह

इस अधिनियम के प्रारंभ से।
(3) यदि अदालत को पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और ऐसा अपराध करने की तारीख को वह बच्चा था, तो वह बच्चे को उचित आदेश पारित करने के लिए बोर्ड के पास भेजेगी और

न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश, यदि कोई हो, माना जाएगा कि

कोई प्रभाव नहीं। "

किशोरावस्था निर्धारित करने के लिए कोई संबंधित नियम नहीं है

जेजे नियम, 2007 का नियम 12।

बच्चा जितना हो सके उतना करीब है और आगे की प्रतीक्षा किए बिना, धारा 14 या धारा 36 के तहत जांच के साथ आगे बढ़ता है। आयु की पुष्टि। लेकिन जहां उक्त बोर्ड या समिति के पास संदेह के लिए उचित आधार हैं कि क्या व्यक्ति लाया गया था

इससे पहले कि वह बच्चा हो या न हो, जेजे बोर्ड या समिति, जैसा भी मामला हो, साक्ष्य प्राप्त करके आयु निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करेगी -

स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र की तारीख, या

((i)

संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो और उसके अभाव में;

निगम या नगरपालिका द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र

((ख)

प्राधिकरण या पंचायत;

(111) और केवल (i) और (ii) से ऊपर की अनुपस्थिति में, आयु का निर्धारण एक अस्थिकरण परीक्षण या किसी अन्य नवीनतम चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण द्वारा किया जाएगा जो आयु आयोग के आदेश पर आयोजित किया जाता है।

समिति या बोर्ड।

बशर्ते कि आयु निर्धारण परीक्षण के क्रम पर आयोजित किया जाता है

समिति या बोर्ड ऐसे आदेश की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर पूरा हो जाएगा। समिति या बोर्ड द्वारा इस प्रकार उसके समक्ष लाए गए व्यक्ति की आयु के रूप में दर्ज की गई आयु, अधिनियम के उद्देश्य के लिए, उस व्यक्ति की वास्तविक आयु मानी जाएगी। तत्काल संदर्भ के लिए जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 94 निम्नानुसार निकाली गई है:

इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत इसके समक्ष लाया गया व्यक्ति (साक्ष्य देने के उद्देश्य के अलावा) कि उक्त व्यक्ति एक बच्चा है, समिति या बोर्ड इस तरह के अवलोकन को दर्ज करेगा।

बच्चे की आयु को जितना हो सके उतना बताते हुए और धारा 14 या धारा 36 के तहत जांच के साथ आगे बढ़ें, जैसा भी मामला हो,

उम्र की और पुष्टि की प्रतीक्षा किए बिना।

(2) यदि समिति या बोर्ड के पास इस बारे में संदेह के लिए उचित आधार हैं कि उसके सामने लाया गया व्यक्ति बच्चा है या नहीं, तो समिति या बोर्ड, जैसा भी मामला हो, साक्ष्य मांगकर आयु निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करेगा। प्राप्त करके -

क) विद्यालय से जन्म प्रमाण पत्र की तिथि, या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र,

ख) निगम या नगरपालिका द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र। प्राधिकरण या पंचायत;

ग) और केवल (i) और (ii) से ऊपर की अनुपस्थिति में, आयु का निर्धारण एक अस्थिकरण परीक्षण या समिति के आदेश पर आयोजित किसी अन्य नवीनतम चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण द्वारा किया जाएगा या

बोर्ड।

बशर्ते कि समिति या बोर्ड के आदेश पर आयोजित ऐसी आयु निर्धारण परीक्षा पंद्रह के भीतर पूरी की जाएगी।

इस तरह के आदेश की तारीख से दिन।

(3) समिति या बोर्ड द्वारा अभिलिखित आयु उस व्यक्ति की आयु होगी जिसे इस प्रकार उसके समक्ष लाया गया है, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, उस व्यक्ति की वास्तविक आयु मानी जाएगी।

23. जेजे अधिनियम, 2000 की धारा 7 ए के तहत, जिसे 22.08.2006 से प्रभावी एक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, दावा करने का प्रावधान किया गया था।

यह तर्क देते हुए कि अभियुक्त व्यक्ति अपराध करने की तारीख को एक किशोर था और ऐसे मामले में, रिकॉर्ड पर लिए गए साक्ष्य पर, ऐसे व्यक्ति की उम्र के बारे में एक निष्कर्ष अदालत द्वारा दर्ज किया जाना था, जेजे बोर्ड के अलावा। किशोरता का दावा किसी भी न्यायालय के समक्ष और किसी भी स्तर पर, किसी मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी उठाया जा सकता था और इस तरह के दावे का निर्धारण उक्त अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के संदर्भ में किया जाना था। यदि न्यायालय उप-धारा (1) के तहत अपराध करने की तारीख को किसी व्यक्ति को किशोर पाता है।

जेजे अधिनियम, 2000 की धारा 7 ए के तहत, उसे किशोर को उचित आदेश पारित करने के लिए जेजे बोर्ड के पास भेजना पड़ा और अदालत द्वारा पारित सजा, यदि कोई हो, का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालाँकि, जेजे अधिनियम, 2015 के तहत, एक [2021] 12 एस. सी. आर.

जेजे अधिनियम, 2000 की धारा 7ए के अनुरूप, उक्त अधिनियम की धारा 9 की धारा 2 के रूप में है, जिसे निकाला गया है।

ई.

24. इसके अलावा, जेजे अधिनियम, 2000 की धारा 49 के विपरीत, जेजे अधिनियम की धारा 94,

आयु के अनुमान और निर्धारण के लिए प्रावधान करता है यदि किशोर

बोर्ड या समिति के पास इस बात पर संदेह करने के लिए उचित आधार हैं कि उसके सामने लाया गया व्यक्ति बच्चा है या नहीं। यह साक्ष्य की मांग करके आयु की समाप्ति की प्रक्रिया शुरू करेगा जैसे किः

(i) स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र की तारीख, या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र,

यदि उपलब्ध हो और उसके अभाव में;

((ii) किसी निगम या नगरपालिका द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र।

प्राधिकरण या पंचायत; और

(iii) केवल (i) और (ii) से ऊपर की अनुपस्थिति में, आयु का निर्धारण एक अस्थिकरण परीक्षण या किसी अन्य नवीनतम चिकित्सा आयु निर्धारण द्वारा किया जाएगा। समिति या बोर्ड के आदेश पर किया गया परीक्षण।

25. दोनों अधिनियमों के तहत प्रक्रिया में अंतर

निम्नानुसार समझा जाएः

(i) जेजे अधिनियम, 2015 के अनुसार धारा 94 (ए) और (बी) की उप-धारा (2) में उल्लिखित आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में,

अस्थिकरण परीक्षण द्वारा आयु के निर्धारण के लिए प्रावधान या

आदेश पर किया जाने वाला कोई अन्य आयु संबंधित चिकित्सा परीक्षण

उक्त अधिनियम की धारा 94 के अनुसार समिति या जेजे बोर्ड अधिनियम; जबकि, जेजे नियम, 2007 के नियम 12 के तहत, प्रासंगिक दस्तावेजों के अभाव में, एक चिकित्सा राय मांगी जानी थी

विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड जो आयु की घोषणा करेगा

किशोर या बच्चा।

((ii) साक्ष्य के रूप में प्रदान किए जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में,

जेजे नियम, 2007 के नियम 12 के तहत जो प्रावधान किया गया था, उसे जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 94 की उप-धारा 2 के तहत प्रदान किया गया है।

एक मूल प्रावधान।

((iii) जेजे अधिनियम, 2000 की धारा 49 के तहत, जहां किसी सक्षम प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि उसके सामने लाया गया कोई व्यक्ति किशोर या बच्चा है, तो ऐसा प्राधिकारी, जांच करने और आवश्यक साक्ष्य लेने के बाद, ऐसे व्यक्ति की किशोरता के बारे में निष्कर्ष दर्ज कर सकता है और ऐसे व्यक्ति की उम्र लगभग ऋषिपाल सिंह सोलंकी बनाम के रूप में बता सकता है।

जैसा कि हो सकता है। धारा 49 की उप-धारा (2) में कहा गया है कि किसी सक्षम प्राधिकारी का कोई भी आदेश केवल किसी भी बाद के प्रमाण से अमान्य नहीं समझा जाएगा कि वह व्यक्ति जिसके संबंध में आदेश दिया गया था, वह किशोर नहीं है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम के उद्देश्य से उसके सामने इस तरह लाए गए व्यक्ति की आयु के रूप में दर्ज की गई आयु को उसकी वास्तविक आयु माना जाएगा। व्यक्ति।

बोर्ड को बच्चे की उम्र को लगभग बताते हुए इस तरह के अवलोकन को दर्ज करना होता है और उम्र की आगे की पुष्टि की प्रतीक्षा किए बिना जांच के साथ आगे बढ़ना होता है। यह केवल तभी होता है जब समिति या जेजे बोर्ड के पास इस बारे में संदेह के लिए उचित आधार होते हैं कि क्या व्यक्ति को लाया गया था। इससे पहले कि वह बच्चा हो या न हो, वह साक्ष्य मांगकर आयु निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।

उसके समक्ष, अधिनियम के प्रयोजन के लिए, उस व्यक्ति की वास्तविक आयु मानी जाएगी। इस प्रकार, के निर्धारण के साथ एक अंतिमता जुड़ी हुई है अभिलिखित आयु और यह केवल उस मामले में है जहां समिति या बोर्ड के समक्ष लाया गया व्यक्ति बच्चा है या नहीं, इस बारे में संदेह के लिए उचित आधार मौजूद हैं, कि साक्ष्य मांगकर आयु निर्धारण की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए।

28. विचाराधीन प्रावधानों पर प्रासंगिक निर्णय

इस स्तर पर संदर्भित किया जा सकता हैः

(अ)

अश्विनी कुमार सक्सेना बनाम. मध्य राज्य

प्रदेश-(2012) 9 एस. सी. सी. 750, इस न्यायालय ने राय दी कि जे. जे. अधिनियम, 2000 की धारा 7 ए के तहत न्यायालय को जांच करने के लिए बाध्य किया गया है, न कि न्याय संहिता के तहत जांच या मुकदमा करने के लिए।

दंड प्रक्रिया। न्यायालय ने अपनी राय में कहा कि

निम्नलिखित शब्दः

" 34 ..... ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं जब मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्रों में की गई प्रविष्टि, स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र की तारीख और यहां तक कि निगम या नगर निगम द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र भी हो। प्राधिकरण या पंचायत सही नहीं हो सकती है। लेकिन अदालत, किशोर न्याय बोर्ड या [2021] 12 एस. सी. आर. के तहत काम करने वाली समिति।

आर. ई. एम. ई. कोर्ट रिपोर्ट

जेजे अधिनियम से इस तरह का संचालन करने की उम्मीद नहीं है जाँच करना और जाँच करने के लिए उन प्रमाणपत्रों के पीछे जाना

उन दस्तावेजों की शुद्धता, के दौरान रखा

व्यवसाय का सामान्य क्रम। केवल उन मामलों में जहाँ

दस्तावेज़ या प्रमाण पत्र मनगढ़ंत पाए जाते हैं या हेरफेर, अदालत, किशोर न्याय बोर्ड या समिति को उम्र के लिए चिकित्सा रिपोर्ट के लिए जाने की आवश्यकता है

दृढ़ संकल्प "।

अबुजार हुसैन उर्फ गुलाम हुसैन के मामले में इस संस्था के एक अन्य निर्णय का भी उल्लेख किया जा सकता है।

पश्चिम बंगाल राज्य-(2012) 10 एस. सी. सी. 489, जिसमें

एस को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया हैः

" 39.1 . किशोरावस्था का दावा किसी भी स्तर पर किया जा सकता है।

मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी। इसे पहली बार इस न्यायालय के समक्ष और अंतिम निर्णय के बाद भी उठाया जा सकता है। मामले का निपटारा। दावा करने में देरी

किशोरता इस तरह के दावे को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है।

किशोरावस्था का दावा अपील में उठाया जा सकता है, भले ही विचारण न्यायालय के समक्ष दबाव नहीं डाला गया और इसके लिए उठाया जा सकता है

इस न्यायालय के समक्ष पहली बार हालांकि पहले दबाव नहीं डाला गया था

दोषसिद्धि, दावेदार को कुछ सामग्री प्रस्तुत करनी होगी जो प्रथम दृष्टया न्यायालय को संतुष्ट कर सकता है कि एक जांच

किशोरावस्था का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा छुट्टी दी जानी चाहिए। 39.3 . किन सामग्रियों से प्रथम दृष्टया संतुष्टि होगी

न्यायालय और/या प्रारंभिक कार्य के निर्वहन के लिए पर्याप्त

बोझ को सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है और न ही इसे निर्धारित किया जा सकता है एक विशिष्ट टुकड़े को कितना वजन दिया जाना चाहिए

साक्ष्य जो अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त हो सकता है

किशोरावस्था लेकिन नियमों में निर्दिष्ट दस्तावेज

12 (3) (क) (i) से (iii) निश्चित रूप से प्रथम श्रेणी के लिए पर्याप्त होगा।

आयु के बारे में न्यायालय की प्रत्यक्ष संतुष्टि

नियम 12 के तहत आगे की जांच की आवश्यकता वाला अपराधी।

संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया 22-10-2021 (12 का पृष्ठ 6) बहुत अस्थायी है और INGH SOLANKI v द्वारा नहीं भी हो सकता है।

उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [बी. वी. नागरत्ना जे.]

415 और पवन-(2009) 15 एस. सी. सी. 259, जितेंद्र में ये दस्तावेज़ प्रथम दृष्टया विश्वसनीय नहीं पाए गए थे। सिंह-(2010) 13 एस. सी. सी. 523 दस्तावेज़। , स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र, अंकपत्र और चिकित्सा रिपोर्ट को जांच का निर्देश देने के लिए पर्याप्त माना गया और

अपीलार्थी की आयु का सत्यापन। यदि ऐसे दस्तावेज, प्रथम दृष्टया, न्यायालय के विश्वास को प्रेरित करते हैं, तो न्यायालय धारा 7-क के प्रयोजनों के लिए ऐसे दस्तावेजों पर कार्रवाई कर सकते हैं और अपराधी की आयु निर्धारित करने के लिए जांच का आदेश दे सकते हैं।

39.4 . दावेदार या माता-पिता में से किसी का शपथ पत्र

या अपील या पुनरीक्षण में या इस न्यायालय के समक्ष मामले के लंबित रहने के दौरान या मामले के निपटारे के बाद पहली बार उठाए गए किशोरता के दावे के समर्थन में कोई भाई या रिश्तेदार ऐसे व्यक्ति की उम्र निर्धारित करने के लिए जांच को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा जब तक कि मामले की परिस्थितियां इतनी स्पष्ट न हों कि वे संतुष्ट हों।

39.5 . जिस न्यायालय में किशोरावस्था की याचिका पहली बार उठाई जाती है, उसे हमेशा उद्देश्यों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। 2000 के अधिनियम के तहत और इस स्थिति में रहें कि 2000 के अधिनियम में निहित लाभकारी और हितकारी प्रावधान अति तकनीकी दृष्टिकोण से पराजित नहीं होते हैं और जो व्यक्ति 2000 के अधिनियम के लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, उन्हें ऐसे लाभ मिलेंगे। न्यायालयों को किसी भी सामान्य धारणा से अनावश्यक रूप से प्रभावित नहीं होना चाहिए।

कि स्कूलों में माता-पिता/अभिभावक भविष्य के लाभों के लिए अपने बच्चों की उम्र को एक या दो साल से कम बताते हैं या चिकित्सा परीक्षा द्वारा आयु निर्धारण बहुत सटीक नहीं है। इस मामले पर प्रथम [2021] 12 एस. सी. आर. पर विचार किया जाना चाहिए।

प्रायिकता की प्रधानता की कसौटी पर प्रत्यक्ष रूप से। 39.6 . विश्वसनीयता में कमी या किशोरता के तुच्छ दावे या स्पष्ट रूप से बेतुके या स्वाभाविक रूप से किशोरता का दावा

किशोरावस्था के असंभव दावे को खारिज किया जाना चाहिए

जब भी उठाया जाता है तो दहलीज पर अदालत।

अर्नीत दास बनाम। बिहार राज्य-(2000) 5 एस. सी. सी. 488, इस न्यायालय ने कहा कि इस प्रश्न पर विचार करते हुए -

अभियुक्त की आयु का निर्धारण यह पता लगाने के उद्देश्य से कि वह किशोर है या नहीं, की सराहना करते हुए एक अति-तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए

याचिका के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य कि वह एक किशोर था और, यदि दो विचार संभव हो सकते हैं, तो अदालत को आरोपी को सीमावर्ती मामलों में किशोर ठहराने के पक्ष में झुकना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह अधिनियम एक कल्याणकारी कानून है, अदालतों को यह देखने के लिए उत्साही होना चाहिए कि एक किशोर को अधिनियम के प्रावधानों का पूरा लाभ मिले, लेकिन साथ ही अदालतों के लिए यह सुनिश्चित करना भी अनिवार्य है कि गंभीर अपराध करने के लिए सजा से बचने के लिए बेईमान व्यक्तियों द्वारा अधिनियम के तहत संरक्षण और विशेषाधिकारों का दुरुपयोग न किया जाए। जितेंद्र राम बनाम। झारखंड राज्य-(2006) 9 एस. सी. सी. 428, इस न्यायालय ने भोला भगत के मामले में अपनी पूर्व टिप्पणियों पर सावधानी बरतने का निर्देश दिया है।

अन्य वी। बिहार राज्य-(1997) 8 एस. सी. सी. 720, जिसमें यह कहा गया था कि न्यायालय पर यह दायित्व डाला गया है कि जहां ऐसी याचिका दायर की गई है, सामाजिक रूप से उन्मुख कानून की लाभकारी प्रकृति की बहुत सावधानी से जांच की जानी चाहिए। इस न्यायालय ने भोला भगत (उपरोक्त) में अपने निर्णय का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" 20. ..... हालाँकि, हमारी राय है कि इसका मतलब यह नहीं होगा कि एक व्यक्ति जो उक्त अधिनियम के लाभ का हकदार नहीं है, उसके साथ केवल इसलिए नरमी से व्यवहार किया जाएगा क्योंकि ऐसी याचिका उठाई गई है। प्रत्येक याचिका पर निर्णय लिया जाना चाहिए।

अपनी योग्यता पर। प्रत्येक मामले पर विचार किया जाना चाहिए

अभिलेख पर लाई गई सामग्री के आधार पर।

उपरोक्त टिप्पणियाँ भोला भगत बनाम बिहार राज्य-(1997) 8 एस. सी. सी. 720 में जो कहा गया था, उसके संदर्भ में की गई थीं, जिसे निम्नानुसार निकाला गया हैः

- सिंह सोलांकी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [बी. वी. नागरत्ना जे.]

" 18. इस फैसले से अलग होने से पहले, हम चाहेंगे कि इस बात पर फिर से जोर दें कि जब किसी की ओर से याचिका दायर की जाती है

न्यायालय के लिए अनिवार्य, यदि वह किसी भी संदेह को स्वीकार करता है अभियुक्त द्वारा दावा की गई आयु के बारे में,

अभियुक्त या जाँच का कारण बनता है और एक यदि आवश्यक हो, तो इसके बारे में पूछकर रिपोर्ट करें

उस संबंध में साक्ष्य का नेतृत्व करने के लिए पक्षकार। ध्यान में रखते हुए सामाजिक रूप से उन्मुख कानून की लाभकारी प्रकृति,

यह न्यायालय का दायित्व है जहाँ ऐसी याचिका दायर की जाती है। उस याचिका की सावधानी से जांच करने के लिए और यह अपने हाथ नहीं मोड़ सकता है

और इसके बारे में एक सकारात्मक निष्कर्ष वापस किए बिना

याचिका, अभियुक्त के प्रावधानों के लाभ से इनकार करना। अदालत को एक जांच करनी चाहिए और एक निष्कर्ष वापस करना चाहिए

उम्र के बारे में, एक या दूसरे तरीके से "।

इसके अलावा, जबर सिंह बनाम। दिनेश और एक अन्य-(2010) 3 एस. सी. सी. 757, इस न्यायालय ने एक ऐसी स्थिति पर विचार किया जिसमें स्कूल रिकॉर्ड या स्थानांतरण प्रमाण पत्र के प्रवेश पत्र में जन्म तिथि की प्रविष्टि साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के तहत निर्धारित शर्त को पूरा नहीं करती है, अर्थात, उक्त प्रविष्टि किसी भी सार्वजनिक या आधिकारिक रजिस्टर में नहीं थी और न तो किसी लोक सेवक द्वारा, अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में या देश के कानून द्वारा विशेष रूप से निर्धारित कर्तव्य के प्रदर्शन में किसी व्यक्ति द्वारा की गई थी और इसलिए उक्त साक्ष्य उक्त मामले में अभियुक्त की आयु निर्धारित करने के उद्देश्य से प्रासंगिक नहीं था। में उपरोक्त मामले में, इस न्यायालय ने पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया और निचली अदालत के आदेश की पुष्टि की जिसमें कहा गया था कि उसमें आरोपी कथित अपराध के समय किशोर था।

बबलू पासी बनाम झारखंड राज्य और एक अन्य

-

(2008) 13 एस. सी. सी. 133, इस न्यायालय ने जेजे अधिनियम, 2000 के प्रावधानों पर विचार करते हुए निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" 22. यह अच्छी तरह से तय है कि यह न तो संभव है और न ही वांछनीय है।

आयु निर्धारित करने के लिए एक अमूर्त सूत्र निर्धारित करना

एक व्यक्ति। जन्म तिथि [2021] 12 एस. सी. आर. पर निर्धारित की जानी है।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

अभिलेख पर सामग्री और मूल्यांकन के आधार पर

पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य। एक व्यक्ति की उम्र के रूप में चिकित्सा साक्ष्य, हालांकि एक बहुत ही उपयोगी मार्गदर्शक कारक है, निर्णायक नहीं है और अन्य ठोस साक्ष्य के साथ विचार किया जाना चाहिए।

23. यह सच है कि अर्नीत दास बनाम। बिहार राज्य इस न्यायालय ने न्यायिक राय की समीक्षा पर यह मत व्यक्त किया है कि अभियुक्त की आयु , यह पता लगाने के उद्देश्य से कि वह किशोर है या नहीं, इस दलील के समर्थन में अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य की सराहना करते हुए एक अति-तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए कि वह एक किशोर था और यदि एक ही साक्ष्य पर दो विचार संभव हो सकते हैं, तो अदालत को सीमावर्ती मामलों में अभियुक्त को किशोर ठहराने के पक्ष में झुकना चाहिए। हम हैं।

इस तथ्य से भी अनजान नहीं कि एक कल्याण होने के नाते

कानून के अनुसार, अदालतों को यह देखने के लिए उत्साही होना चाहिए कि एक किशोर को अधिनियम के प्रावधानों का पूरा लाभ मिले, लेकिन साथ ही अदालतों के लिए यह सुनिश्चित करना भी अनिवार्य है कि गंभीर अपराध करने के लिए दंड से बचने के लिए बेईमान व्यक्तियों द्वारा अधिनियम के तहत संरक्षण और विशेषाधिकारों का दुरुपयोग न किया जाए।

मध्य प्रदेश राज्य में v. अनूप सिंह-(2015) 7 एस. सी. सी. 733, यह देखा गया कि जन्म तिथि के निर्धारण के लिए ऑसिफिकेशन टेस्ट एकमात्र मानदंड नहीं है, जब जन्म प्रमाण पत्र और माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं। यह देखा गया कि उच्च न्यायालय सही नहीं था

यह मानते हुए कि घटना के समय अभियोजक की आयु 18 वर्ष से अधिक थी। जन्म प्रमाण पत्र और माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि में दो दिनों का अंतर था, लेकिन इसे एक मामूली विसंगति माना गया। उस मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अभियोजक घटना की तारीख को 16 वर्ष से कम आयु का था और उसके द्वारा पारित निर्णय को रद्द कर दिया गया था।

उच्च न्यायालय।

संजीव कुमार गुप्ता बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और दूसरा-(2019) 12 एस. सी. सी. 370, हम में से एक (माननीय Dr.D.Y. चंद्रचूड़, जे.) द्वारा लिखित एक निर्णय है, जिसमें ऋषिपाल सिंह सोलंकी बनाम.

उत्तर प्रदेश राज्य

& ओआरएस। [बी. वी. नागरत्ना जे.]

मैट्रिक प्रमाणपत्र की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता

जेजे अधिनियम, 2000 की धारा 7 ए के तहत आयु निर्धारण के उद्देश्य से विचार के लिए आया। उक्त मामले में, जेजे बोर्ड ने किशोरावस्था के दावे को खारिज कर दिया था और इस अदालत ने जेजे बोर्ड के फैसले की पुष्टि की थी

उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करके किशोरता के दावे को अस्वीकार करना। उक्त मामले में, यह देखा गया कि सी. बी. एस. ई. द्वारा रखे गए अभिलेख विशुद्ध रूप से वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय द्वारा भेजी गई छात्रों की अंतिम सूची के आधार पर थे, जिसमें दूसरा प्रतिवादी कक्षा 5 से 10 तक पढ़ा था, न कि किसी अन्य अंतर्निहित दस्तावेज के आधार पर। दूसरी ओर, जन्म तिथि का स्पष्ट और निर्विवाद प्रमाण था जो था

एक अन्य विद्यालय के अभिलेखों में दर्ज किया गया था जिसमें दूसरा प्रतिवादी कक्षा 4 तक पढ़ा था और जो अभियुक्त द्वारा किए गए स्वैच्छिक प्रकटीकरण द्वारा समर्थित था इसमें आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस दोनों प्राप्त करते समय। यह देखा गया कि मैट्रिक प्रमाण पत्र में दिखाई देने वाली जन्म तिथि को इस रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है

प्रामाणिक या विश्वसनीय। उक्त मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उसमें दूसरे प्रत्यर्थी की जन्म तिथि थी

17.12.1995 और यह कि वह नाबालिग होने का दावा करने का हकदार नहीं था क्योंकि कथित घटना की तारीख 18.08.2015 थी।

कि स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र सहित दस्तावेजों की विश्वसनीयता और स्वीकार्यता, प्रत्येक के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। इस संबंध में कोई कठोर और त्वरित नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता था।

यह अबूज़र हुसैन (ऊपर) में माननीय टी. एस. द्वारा मनाया गया था।

जे. ठाकुर, उस समय विद्वान मुख्य न्यायाधीश थे, जिन्होंने जाँच का निर्देश दिया था।

यह अभियुक्त को किशोर घोषित करने के समान नहीं है। पूर्व में, न्यायालय केवल प्रथम दृष्टया निष्कर्ष दर्ज करता है, जबकि घोषणा साक्ष्य के आधार पर की जाती है। इसलिए, जांच का निर्देश देने के चरण में दृष्टिकोण अधिक उदार होना चाहिए, ऐसा न हो कि न्याय की विफलता हो। [2021] 12 एस. सी. आर. के लिए आवश्यक प्रमाण का मानक अलग है।

पूर्व में, न्यायालय केवल प्रथम दृष्टया निष्कर्ष दर्ज करता है।अंततः यह इस बात पर निर्भर करता है कि न्यायालय ऐसी सामग्री का मूल्यांकन कैसे करता है।

प्रथम दृष्टया निष्कर्ष और न्यायालय निर्देश दे सकता है या नहीं भी दे सकता हैराय। उत्तरार्द्ध में, न्यायालय साक्ष्य पर एक घोषणा करता है कि यह

इस तरह के साक्ष्य को तभी स्वीकार किया जाता है जब वह स्वीकार करने के योग्य हो।

अध्यादेश को आगे निम्नानुसार देखा गयाः

" अतः न्यायालय प्रत्येक मामले में प्रासंगिक बातों पर विचार करेगा।

कारक, आवश्यकता पड़ने पर बेहतर शपथ पत्र दाखिल करने पर जोर देते हैं,

और यहाँ तक कि प्रत्यक्ष, प्रासंगिक मानी जाने वाली कोई भी अतिरिक्त जानकारी माता-पिता की आयु, भाई-बहनों की आयु और इसी तरह की जानकारी के साथ, एक निर्णय लेने से पहले प्रस्तुत की जानी चाहिए

मामला-दर-मामला आधार पर धारा 7-ए के तहत जांच की जानी चाहिए या नहीं। यह अंततः इस बात पर निर्भर करेगा कि अदालत कैसे

प्रथम दृष्टया निष्कर्ष के लिए ऐसी सामग्री का मूल्यांकन करता है कि न्यायालय

जाँच का निर्देश दे या न दे। "

पराग भाटी (कानूनी माध्यम से किशोर) के मामले में

((i)

संरक्षक-माँ-श्रीमती। रजनी भाटी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य

प्रदेश और दूसरा (2016) 12 एस. सी. सी. 744, दोनों

उपरोक्त निर्णयों पर विचार किया गया और यह न्यायालय

निम्नलिखित रूप में देखा गयाः

" 34.इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि किशोर अभियुक्त के पक्ष में कोई स्पष्ट और स्पष्ट मामला है कि वह घटना की तारीख को 18 वर्ष से कम उम्र का नाबालिग था और दस्तावेजी साक्ष्य कम से कम प्रथम दृष्टया यह साबित करते हैं, तो वह जेजे अधिनियम के तहत विशेष सुरक्षा का हकदार होगा। लेकिन जब कोई आरोपी

एक गंभीर और जघन्य अपराध करता है और उसके बाद

नाबालिग होने की आड़ में वैधानिक आश्रय लेने का प्रयास, एक आकस्मिक या घुड़सवार दृष्टिकोण यह दर्ज करते समय कि क्या कोई आरोपी किशोर है या नहीं, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि अदालतों को अपने कर्तव्यों का पालन करने का आदेश दिया गया है ताकि आम आदमी के विश्वास की रक्षा की जा सके।

न्याय का प्रशासन।

35. परोपकारी विधान के सिद्धांत का लाभ

इस प्रकार जेजे अधिनियम से संलग्न केवल ऐसे मामलों पर लागू होगा जिसमें अभियुक्त को उसके सिंह सोलंकी बनाम के संबंध में कम से कम प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर किशोर माना जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [बी. वी. नागरत्ना जे.]

गंभीर और गंभीर अपराध में शामिल है जो वह प्रतिबद्ध और निर्दोषता के बजाय अपने मन की परिपक्वता को दर्शाते हुए एक सुनियोजित तरीके से इसे लागू किया

यह दर्शाता है कि उसकी किशोरता की याचिका कानून के हथियारों को चकमा देने या धोखा देने के लिए ढाल की प्रकृति में अधिक है, उसे उसके बचाव में आने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। (जोर दिया गया) उपरोक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि किशोर न्याय अधिनियम, 2000 का उद्देश्य गंभीर और जघन्य अपराधों के अभियुक्तों को आश्रय देना नहीं है।

36. यह कानून की स्थिर स्थिति है कि यदि मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं और कोई नहीं है

जन्म तिथि की शुद्धता को साबित करने के लिए अन्य सामग्री, मैट्रिक प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि को अभियुक्त की जन्म तिथि के निर्णायक प्रमाण के रूप में माना जाना चाहिए। हालाँकि, यदि कोई संदेह या विरोधाभासी रुख अभियुक्त द्वारा लिया जा रहा है जो जन्म तिथि की शुद्धता पर संदेह पैदा करता है तो जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अबुज़र हुसैन में निर्धारित किया गया है, अभियुक्त की आयु निर्धारित करने के लिए एक जांच की अनुमति है जो वर्तमान मामले में की गई है। ' 9

माननीय हेमंत गुप्ता, जे., द्वारा राम विजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य-2021 सी. आर. आई. एल. जे. 2805 मामले में दिए गए निर्णय में यह कहा गया है कि अस्थिकरण परीक्षण आयु निर्धारण का एकमात्र मानदंड नहीं है और एक नेत्रहीन और नेत्रहीन व्यक्ति है।

व्यक्ति की आयु के संबंध में यांत्रिक दृष्टिकोण नहीं हो सकता है केवल रेडियोलॉजिकल परीक्षा द्वारा चिकित्सा राय के आधार पर अपनाया गया। यद्यपि, रेडियोलॉजिकल परीक्षा किसी व्यक्ति की आयु निर्धारित करने के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शक कारक है, साक्ष्य एक निर्णायक और निर्विवाद प्रकृति का नहीं है और यह त्रुटि के अंतर के अधीन है। एक व्यक्ति की उम्र के रूप में चिकित्सा साक्ष्य, हालांकि एक बहुत ही उपयोगी मार्गदर्शक कारक है, निर्णायक नहीं है और अन्य परिस्थितियों के साथ विचार किया जाना चाहिए। उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ निम्नानुसार निकाले गए हैं:

" 14. हम पाते हैं कि नियम 12 में निर्धारित प्रक्रिया धारा [2021] 12 एस. सी. आर. के प्रावधानों से भौतिक रूप से अलग नहीं है।

94 वहाँ के व्यक्ति की आयु निर्धारित करने के लिए अधिनियम नियम 12 (3) (ए) (आई) और (आई) को भाषा में मामूली बदलाव के साथ जोड़ा गया है।

आयु सीमा के लाभ के बारे में जिसे दिया जाना है जैसा कि नियमों के नियम 12 (30 (बी) में प्रावधान किया गया था, बच्चा या किशोर। अस्थिकरण परीक्षण का महत्व नहीं है

अधिनियम की धारा 94 के अधिनियमन के साथ परिवर्तन हुआ। अस्थीकरण परीक्षण की विश्वसनीयता कमजोर बनी हुई है जैसा कि नियमों के नियम 12 के तहत था। 15. अधिनियम की योजना के अनुसार, जब यह समिति या बोर्ड के लिए स्पष्ट हो, उपस्थिति के आधार पर

व्यक्ति का, कि उक्त व्यक्ति एक बच्चा है, बोर्ड या समिति उम्र की आगे की पुष्टि की प्रतीक्षा किए बिना बच्चे की उम्र को लगभग बताते हुए टिप्पणियों को दर्ज करेगी। इसलिए, आयु निर्धारित करने का पहला प्रयास बोर्ड या समिति के समक्ष लाए जाने पर व्यक्ति के शारीरिक रूप का आकलन करना है। यह केवल संदेह के मामले में है, प्रक्रिया

साक्ष्य मांगकर आयु निर्धारण आवश्यक हो जाता है। उस स्तर पर, जब कोई व्यक्ति लगभग 18 वर्ष का होता है, तो ऑसिफिकेशन परीक्षण को कानून के साथ संघर्ष में किसी व्यक्ति की अनुमानित आयु निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक कहा जा सकता है। हालाँकि, जब व्यक्ति की आयु लगभग 40-55 वर्ष होती है, तो हड्डियों की संरचना नहीं हो सकती है

आयु निर्धारित करने में सहायक। अर्जुन पंडितराव खोटकर बनाम में यह न्यायालय। कैलाश कुषाणराव गोरंट्याल और

ओआरएस। (2020) 7 एस. सी. सी. 1 ने साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65 बी के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र के संदर्भ में कहा कि लैटिन सिद्धांत के अनुसार, लेक्स नॉन कोगिटाडिम्पोसिबिलिया, कानून असंभव की मांग नहीं करता है। इस प्रकार, जब अस्थिकरण परीक्षण विश्वसनीय और विश्वसनीय नहीं हो सकता है

परिणामस्वरूप, इस तरह के परीक्षण को घटना की तारीख को संबंधित व्यक्ति की उम्र निर्धारित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है।

इसलिए, अपीलार्थी की आयु का पता लगाने के लिए किसी भी विश्वसनीय विश्वसनीय चिकित्सा साक्ष्य के अभाव में, ऑसिफिकेशन परीक्षण वर्ष 2020 में आयोजित किया गया जब

अपीलार्थी की आयु 55 वर्ष थी जो निर्णायक नहीं हो सकता है -

घटना की तारीख को उसे किशोर घोषित करें। सिंह सोलांकी बनाम।

उत्तर प्रदेश राज्य

& ओआरएस। [बी. वी. नागरत्ना जे.]

उपरोक्त घटकों के संचयी विचार से जो सामने आता है वह इस प्रकार हैः

किशोरता का दावा आपराधिक कार्यवाही के किसी भी चरण में, मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी उठाया जा सकता है। किशोरावस्था के दावे को उठाने में देरी का आधार नहीं हो सकता है

इस तरह के दावे को अस्वीकार करना। इसे पहले भी उठाया जा सकता है।

इस न्यायालय के समक्ष समय। किशोरावस्था का दावा करने वाला आवेदन या तो पहले किया जा सकता है।

न्यायालय या जे. जे. बोर्ड।

जब किसी न्यायालय के समक्ष किशोरता का मुद्दा उठता है, तो यह जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 9 की उप-धारा (2) और (3) के तहत हो, लेकिन जब किसी व्यक्ति को समिति के समक्ष लाया जाता है या

जेजे बोर्ड, जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 94 लागू होती है।

यदि किशोरावस्था का दावा करते हुए न्यायालय के समक्ष कोई आवेदन दायर किया जाता है, तो जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 94 की उप-धारा (2) के प्रावधान को धारा 9 की उप-धारा (2) के साथ लागू या पढ़ना होगा ताकि निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए साक्ष्य प्राप्त किया जा सकेः

व्यक्ति की लगभग जितनी हो सके उम्र बताते हुए एक खोज को दर्ज करना। जब किशोरावस्था का दावा करने वाला आवेदन इसके तहत किया जाता है

जेजे बोर्ड के समक्ष जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 94 जब कथित अपराध के संबंध में मामला अदालत के समक्ष लंबित है, तो जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 94 के तहत विचार की गई प्रक्रिया लागू होगी। उक्त प्रावधान के तहत यदि जेजे बोर्ड के पास उचित आधार हैं

इस बारे में संदेह के लिए कि उसके सामने लाया गया व्यक्ति बच्चा है या नहीं, बोर्ड साक्ष्य और दर्ज की गई उम्र की मांग करके आयु निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करेगा। जेजे बोर्ड द्वारा इस प्रकार लाए गए व्यक्ति की आयु होनी चाहिए

उसके समक्ष, जेजे अधिनियम, 2015 के प्रयोजन के लिए, उस व्यक्ति की वास्तविक आयु मानी जाएगी। इसलिए प्रमाण की डिग्री जेजे बोर्ड के समक्ष ऐसी कार्यवाही में आवश्यक है, जब संबंधित आपराधिक अदालत के समक्ष मुकदमा होने पर किशोरावस्था के दावे के लिए आवेदन दायर किया जाता है, तो यह उससे अधिक है।

जब एक अदालत द्वारा जांच की जाती है जिसके समक्ष अपराध करने के संबंध में मामला लंबित है (जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 9 के अनुसार)।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

कि जब किशोरता का दावा किया जाता है, तो प्रारंभिक बोझ का निर्वहन करने के लिए न्यायालय को संतुष्ट करने का दावा करने वाले व्यक्ति पर बोझ पड़ता है। हालांकि, जेजे अधिनियम, 2000 या जेजे की धारा 94 की उप-धारा (2) के तहत बनाए गए जेजे नियम 2007 के नियम 12 (3) (ए) (आई), (ii) और (iii) में उल्लिखित दस्तावेज।

अधिनियम, 2015, न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि के लिए पर्याप्त होगा। उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर ए

इस न्यायालय ने कहा है कि एक अति-तकनीकी दृष्टिकोण जब अभियुक्त की ओर से इस दलील के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है कि वह एक किशोर था, तो इसे अपनाया नहीं जाना चाहिए।

यदि एक ही साक्ष्य पर दो विचार संभव हैं, तो अदालत को आरोपी को सीमावर्ती मामलों में किशोर ठहराने के पक्ष में झुकना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि जेजे अधिनियम, 2015 का लाभ किशोरों पर लागू किया जाए।

कानून के साथ संघर्ष। साथ ही, न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जेजे अधिनियम, 2015 का व्यक्तियों द्वारा बचने के लिए दुरुपयोग न किया जाए गंभीर अपराध करने के बाद सजा।

(ix) कि जब आयु का निर्धारण के आधार पर होता है

इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अनुसार माना जाना चाहिए, क्योंकि आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में रखा गया कोई भी सार्वजनिक या आधिकारिक दस्तावेज निजी दस्तावेजों की तुलना में अधिक विश्वसनीयता है।

(x)

कोई भी दस्तावेज़ जो जनता के अनुरूप हो

मैट्रिक प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेजों को न्यायालय या जेजे बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जा सकता है बशर्ते कि ऐसा सार्वजनिक दस्तावेज भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विश्वसनीय और प्रामाणिक हो। , धारा 35 और अन्य प्रावधान।

(xi)

ओस्सिफिकेशन टेस्ट उम्र के लिए एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता है। किसी व्यक्ति की उम्र के बारे में निर्धारण और एक यांत्रिक दृष्टिकोण को केवल रेडियोलॉजिकल परीक्षा द्वारा चिकित्सा राय के आधार पर नहीं अपनाया जा सकता है। इस तरह के साक्ष्य निर्णायक साक्ष्य नहीं हैं, बल्कि केवल एक बहुत ही उपयोगी मार्गदर्शक कारक हैं।

में उल्लिखित दस्तावेजों की अनुपस्थिति में विचार किया जाए

जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 94 (2)।

30. कानून की उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान मामले के तथ्यों पर भी यही लागू किया जा सकता है। यह उल्लेख किया गया है कि एफ. आई. आर. में

दिनांकित 05.05.2020, प्रत्यर्थी का नाम सं। 2 निशुआंद के रूप में लिखा गया है कि यह कहा गया है कि निशु पुत्र भूषण और अन्य अभियुक्तों के पास एक फरसा (युद्ध-कुल्हाड़ी), लाठी और बल्कटी (बेंत-चाकू) थे और उन्होंने शिकायतकर्ता/अपीलार्थी और उनके परिवार के सदस्यों पर हमला किया (अनुलग्नक पी-1)।

31. एक आवेदन विविध है। प्रतिवादी नं. 1 की ओर से दायर मामला No.16/2020। 2 जे. जे. बोर्ड, बागपत के समक्ष निशांत एक

घोषणा करें कि प्रत्यर्थी नं। 2 वह एक किशोर अपराधी था और कमीशन की तारीख को उसकी उम्र लगभग 15 वर्ष 8 महीने थी।

कथित अपराध अर्थात 05.05.2020। सक्षम सत्र न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था।

32. जो भी हो सकता है। उपरोक्त आवेदन के समर्थन में, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन यू. पी. द्वारा जारी हाई स्कूल का प्रमाण पत्र-सह-अंक पत्रक प्रस्तुत किया गया था जिसमें कहा गया था

कि प्रत्यर्थी की जन्म तिथि सं। 2 निशांत 25.09.2004and था कि उसने फरवरी, 2019 में आयोजित हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उक्त प्रमाणपत्र दिनांकित 27.04.2019 है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

33. यह प्रतिवादी नं. की माँ द्वारा कहा गया था। 2 उत्तरदाता का जन्म प्रमाण पत्र सं। 2 उनके जन्म के बाद नहीं माँगा गया था; कि जब प्रतिवादी के पिता नं। 2 सर्वोदय पब्लिक स्कूल, खिंडोरा, जिला बागपत में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए, स्कूल में प्रवेश के समय जन्म के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं दिया गया था। जन्म तिथि का मौखिक रूप से उल्लेख किया गया था। वह उत्तरदाता नहीं। 2 निशांत ने सर्वोदय पब्लिक स्कूल में कक्षा 8 तक पढ़ाई की और उसके बाद उन्हें दूसरे स्कूल में भर्ती कराया गया। , सरदार वल्लभभाई पटेल हायर सेकेंडरी स्कूल, शजरपुर, कैदना, जिला बागपत कक्षा 9 के लिए। प्रत्यर्थी की माँ नं। 2 में

उसकी प्रतिपरीक्षा ने दोहराया है कि प्रत्यर्थी की जन्म तिथि नं। 2 प्रत्यर्थी सं. के प्रवेश के समय मौखिक रूप से उल्लेख किया गया था। 2 सर्वोदय पब्लिक स्कूल में कक्षा 1 में निशांत और उसके समर्थन में कोई दस्तावेज स्कूल में जमा नहीं किया गया था।

34. डी. डब्ल्यू.-2 सरदार वल्लभभाई पटेल हायर सेकेंडरी स्कूल, शजरपुर, कैदना, जिला बागपत के प्राचार्य मनोज कुमार ने अपने बयान में कहा कि प्रतिवादी नं. 2 निशांत को 9वीं कक्षा में भर्ती कराया गया था। 04.07.2017 और प्रत्यर्थी सं. की जन्म तिथि दर्ज करने वाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र। 2 क्योंकि 25.09.2004 जमा किया गया था और इसे स्कूल के रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। सभी प्रवेश प्रपत्रों पर छात्रों और अभिभावकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने थे, लेकिन पिछले विद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र सत्यापित नहीं किया गया था।

35. अनुलग्नक पी-11 सर्वोदय पब्लिक स्कूल, खिंडोरा, बागपत के प्रवेश आवेदन पत्र की एक प्रति है, जो हिंदी में है, जिसमें प्रतिवादी नं. 2 हस्ताक्षर किए हैं। अनुलग्नक पी-12 कक्षा 8 में प्रवेश के लिए दिनांकित 03.04.2014 आवेदन पत्र की एक प्रति है। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि प्रत्यर्थी के हस्ताक्षर की तुलना में नं। 2 अनुलग्नक पी-11 और अनुलग्नक पी-12 पर यह उल्लेख किया गया है कि अनुलग्नक पी-11 पर हस्ताक्षर वर्ष 2009 में किए गए थे, जबकि अनुलग्नक पी-12 पर हस्ताक्षर वर्ष 2014 में किए गए थे और वे समान हैं। इसके अलावा, कक्षा 1 में प्रवेश पाने के इच्छुक बच्चे के लिए प्रवेश पत्र पर अपने नाम का हस्ताक्षर करना संभव नहीं है।

36. डी. डब्ल्यू.-3 सुरेंद्र कुमार सैनी, प्राचार्य, सर्वोदय पब्लिक

स्कूल, खिंडोरा, बागपत ने कहा है कि प्रतिवादी नं। 2 निशांत की आयु कक्षा 1 में प्रवेश के समय चार वर्ष से थोड़ी अधिक थी; कि प्रवेश पत्र पर निशांत की कोई तस्वीर नहीं लगाई गई थी और न ही निशांत के पिछले स्कूल का कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था; कि निशांत ने कक्षा 1 से कक्षा 8 तक सर्वोदय पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की और कक्षा 5 उत्तीर्ण करने के बाद, कक्षा 6 के लिए प्रवेश पत्र भरना था, लेकिन वह ऋषिपाल सिंह सोलंकी बनाम नहीं था।

फाइल में उपलब्ध है। उन्होंने आगे कहा कि निशांत और उनके पिता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित 03.04.2014 दिनांकित प्रवेश पत्र अभिलेख पर उपलब्ध था और कक्षा 8 से संबंधित था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कक्षा 1 और कक्षा 8 के प्रवेश पत्रों पर निशांत के हस्ताक्षर समान हैं लेकिन उक्त प्रवेश पत्र मनगढ़ंत नहीं हैं।

37. जेजे बोर्ड, बागपत ने अपने दिनांकित 14.09.2020 के आदेश द्वारा प्रतिवादी नं. 2 - निशांत

इसमें और यह दिखाने के लिए कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया है कि इसे अलग कर दिया गया है। जेजे बोर्ड के अनुसार, संबंधित बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक प्रमाण पत्र ने जन्म तिथि को 25.09.2004 के रूप में इंगित किया और इस तरह के दस्तावेज के अभाव में ही आयु का निर्धारण ऑसिफिकेशन टेस्ट या किसी अन्य नवीनतम चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण द्वारा किया जाना था। तत्काल मामले में, चूंकि मैट्रिक बोर्ड का प्रमाण पत्र उपलब्ध था, इसलिए निशांत के चिकित्सा परीक्षण के लिए आदेश देना अनावश्यक था।

38. इसके बाद, जेजे बोर्ड ने अपने दिनांकित 11.11.2020 के आदेश द्वारा प्रतिवादी नं. 1 विविध होने के नाते। मामला No.16 /

2020 प्रत्यर्थी नं. की ओर से दायर किया गया। 2 - निशांत। जे. जे. बोर्ड ने प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद, मेरठ, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी उस 22.07.2020 दिनांकित पत्र को देखा, जिसमें पता चला कि आरोपी निशांत की जन्म तिथि को हाई स्कूल मार्कशीट में 25.09.2004 के रूप में दर्ज किया गया था। घटना की तारीख 05.05.2020 थी। अतः उत्तरदाता नं. 2 निशांत 15 साल के थे।

और घटना की तारीख को 8 महीने की उम्र।

39. दिनांक 11.11.2020 के आदेश द्वारा, जेजे बोर्ड ने प्रतिवादी नं. 2 2020 के मामले अपराध संख्या 116 में किशोर अपराधी के रूप में निशांत आई. पी. सी. की धारा 147,148,149,323,307,302 और 34 के तहत अपराध पी. एस. सिंघावली अहीर, जिला बागपत।

40. उपरोक्त आदेश को जिला और सत्र न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए कायम रखा गया है कि जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 94 का तत्काल मामले में पालन किया गया था क्योंकि संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र ने प्रतिवादी नं. 2 निशांत 25.09.2004 होना चाहिए। इसलिए, जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 94 की उप-धारा 2 लागू होती है क्योंकि उक्त दस्तावेज पर संदेह करने का कोई उचित आधार नहीं था। इसे नकारने के लिए कोई सबूत न होने के कारण आपराधिक संशोधन को खारिज कर दिया गया। यह जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 94 की उप-धारा (3) के बल पर है जो एक उपबंध है।

41. हालाँकि अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री द्विवेदी ने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्यर्थी के हस्ताक्षर नहीं। 2 - निशांत

कक्षा 1 और कक्षा 8 के प्रवेश पत्र समान हैं और यह कक्षा 1 के प्रवेश पत्र पर ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि निशांत केवल साढ़े चार साल के थे जब उन्हें कक्षा 1 में भर्ती कराया गया था। लेकिन तथ्य यह है कि 2019 में, जब निशांत ने अपनी कक्षा 10 पूरी की, तो मैट्रिक प्रमाण पत्र में उनकी जन्म तिथि 25.09.2004 के रूप में दिखाई गई है। अतः, प्रत्यर्थी नं। 2 घटना की तारीख को उनकी उम्र केवल 15 वर्ष थी, और किसी भी मामले में उनकी उम्र 16 वर्ष से कम थी। 42. अपीलार्थी द्वारा अभिलेख पर कोई खंडन साक्ष्य लाए जाने के अभाव में, भले ही कक्षा 1 और कक्षा 8 में प्रवेश की मांग करने वाले दस्तावेज अस्वीकृत या अस्वीकृत हों, तथ्य यह है कि संबंधित बोर्ड द्वारा जारी निशांत के मैट्रिक से संबंधित अंक-पत्र, इस धारणा को जन्म देता है कि निशांत की आयु घटना की तारीख यानी 16 वर्ष से कम थी। 2020 . इसके अलावा,

प्रशासनिक अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के दिनांकित 22.07.2020 पत्र में उनकी आयु 25.09.2004 के रूप में प्रकट की गई है।

43. संजीव कुमार गुप्ता में दो विचार हैं जो फैसले को अलग करेंगे। सबसे पहले, संजीव कुमार गुप्ता के मामले में, इस अदालत ने कहा कि हालांकि, माध्यमिक विद्यालय द्वारा भेजी गई दस्तावेज़ की अंतिम सूची के आधार पर सीबीएसई रिकॉर्ड की पुष्टि करने वाला कोई अंतर्निहित दस्तावेज़ नहीं था, जन्म तिथि का स्पष्ट और निर्विवाद प्रमाण था जो स्कूल के रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था जिसमें दूसरा प्रतिवादी कक्षा 4 तक उपस्थित रहा था और जिसे आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस दोनों प्राप्त करते समय आरोपी द्वारा स्वैच्छिक प्रकटीकरण द्वारा समर्थित किया गया था।

44. तत्काल मामले में, यह साबित करने के लिए पूर्व-पी-11 और 12 पर भरोसा किया गया है कि प्रत्यर्थी की जन्म तिथि नं. 2 उल्लेख किया गया है

दस्तावेज़ मैट्रिक प्रमाण पत्र में दर्शाई गई जन्म तिथि के अनुरूप हैं। हालाँकि, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि पूर्व-पी-11 और 12 पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन तथ्य यह है कि राजपत्र वर्ष 2019, रोल No.0485064 वर्ष 2019 के साथ आरोपी निशांत की हाई स्कूल मार्कशीट की एक फोटोकॉपी, जिसके संबंध में प्रशासनिक अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश (मेरठ) के कार्यालय से प्राप्त सत्यापन पत्र No.R.O.I.E.C./records/4016 दिनांक 22.07.2020 है।

अभियुक्त निशांत की जन्म तिथि को 25.09.2004 के रूप में प्रमाणित किया।

ऋषिपाल सिंह सोलंकी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [बी. वी. नागरत्ना जे.]

45. दूसरा, संजीव कुमार गुप्ता मामले में उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायाधीश के निष्कर्षों को उलट दिया था। उक्त प्रमाणपत्र धारण करके मैट्रिक प्रमाणपत्र को किसी भी अन्य दस्तावेज पर वरीयता दी जाएगी। इसे इस न्यायालय द्वारा उलट दिया गया था क्योंकि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और आठवीं कक्षा की अंकपत्र में दूसरे प्रतिवादी की जन्म तिथि 27.12.1995 के रूप में इंगित की गई थी, जबकि मैट्रिक प्रमाण पत्र ने जन्म तिथि 17.12.1998 के रूप में इंगित की थी। और, चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार, यह राय दी गई थी कि दूसरा प्रतिवादी 09.11.2016 पर उन्नीस साल का था, जब कथित अपराधों को कथित मामले में उसके द्वारा किया गया था।

46. लेकिन तत्काल मामले में, स्वीकार्य रूप से, दूसरे प्रतिवादी की जन्म तिथि का संकेत देने वाला कोई अन्य दस्तावेज नहीं है।

मैट्रिक प्रमाणपत्र में इंगित किया गया है। अतः जन्म तिथि में ऐसी विसंगति यहाँ उत्पन्न नहीं होती है। अपीलार्थी द्वारा दूसरे प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के लिए कोई विरोधाभासी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों में, हम उच्च न्यायालय के उस आदेश से अलग होने के इच्छुक नहीं हैं, जिसने इस मामले में जिला और सत्र न्यायालय के साथ-साथ जेजे बोर्ड के फैसले को बरकरार रखा है।

47. जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 94 के बारे में एक धारणा उठाती है

जेजे बोर्ड या समिति के समक्ष लाए गए बच्चे की आयु की किशोरता। लेकिन यदि बोर्ड या समिति के पास अपने सामने लाए गए व्यक्ति के बारे में संदेह के लिए उचित आधार हैं कि वह बच्चा है या नहीं, तो वह सबूत मांगकर उम्र निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। इस प्रकार, प्रारंभिक चरण में उक्त अधिकारियों द्वारा यह अनुमान लगाया जाना चाहिए कि समिति या जेजे बोर्ड के समक्ष लाया गया बच्चा एक किशोर है। उक्त अनुमान बच्चे के अवलोकन पर लगाया जाना चाहिए। हालाँकि, उक्त अनुमान तब नहीं लगाया जा सकता है जब समिति या बोर्ड के पास अपने सामने लाए गए व्यक्ति के बारे में संदेह के लिए उचित आधार हों कि वह बच्चा है या नहीं। ऐसे मामले में, यह कार्य कर सकता है

साक्ष्य द्वारा आयु निर्धारण की प्रक्रिया जो निम्न के रूप में हो सकती हैः

1] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(i) स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र की तिथि या संबंधित बोर्ड से मैट्रिक प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो या उसके अभाव में;

(ii) किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र और उपरोक्त के अभाव में;
(iii) आयु का निर्धारण एक अस्थिकरण परीक्षण या आदेश पर आयोजित किसी अन्य चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण द्वारा किया जाता है।

समिति या बोर्ड।

48. जे. जे. अधिनियम, 2015 के प्रयोजन के लिए समिति या बोर्ड द्वारा दर्ज की गई आयु को उसके समक्ष लाए गए व्यक्ति की आयु व्यक्ति की वास्तविक आयु मानी जाएगी। डीमिंग प्रावधान

जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 94 की उप-धारा (3) में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि समिति या जेजे बोर्ड के समक्ष लाए गए बच्चे की उम्र के बारे में विवाद या संदेह को जेजे बोर्ड या समिति के स्तर पर ही समाप्त करने की मांग की जाती है। 49. इन परिस्थितियों में, हम तत्काल अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और इसे खारिज कर दिया जाता है।

50. लंबित अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

या

चिका खारिज कर दी गई।

दिव्या पांडे